भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
(2009-10)

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वड़ोदरा
SARDAR SAROVAR CONSTRUCTION ADVISORY COMMITTEE ,VADODARA

FOREWORD

The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee (SSCAC) was constituted with a view to ensure efficient, economical and timely execution of the Unit-I (Dam & Appurtenant works) and Unit-III (Hydro Power works) of the Sardar Sarovar Project (SSP). The office of Sardar Sarovar Construction Advisory Committee has been issuing Annual Reports regularly since its inception in 1980. This Annual Report of SSCAC presents a glimpse of SSCAC, its constitution, its functions and various activities of SSCAC Secretariat, expenditure incurred and gist of decisions taken in the various meetings held during the year 2009-10. The Unit-I component of the project involves main dam construction which started in April 1987 and was programmed to be completed by the end of January 1998 as per the Revised Implementation Schedule (RIS) approved by the SSCAC in February 1990. Unfortunately, the construction work on spillway blocks of the dam remained held up for long, due to litigation in the Supreme Court of India. Though this hurdle was cleared in October 2000 with the final verdict of the Court in favour of project, yet the desired pace of progress could not be achieved owing to non-completion of required resettlement and rehabilitation (R&R) works of the project affected persons an environmental protection measures. However by raising the spillway portion could be raised above the elevation level (EL) of 110.64 m by June 2004, thereby making it possible to derive partial irrigation and power benefits from the Project.

Further permission to raise the height of dam in spillway portion from EL 110.64 m to EL 121.92 m was accorded by Narmada Control Authority on 8th March 2006 after taking into account the recommendations of Resettlement & Rehabilitation Sub-Group and Environment Sub-Group and the assurances of all the party States. After getting clearance from NCA, the height of the dam is raised up to EL 121.92 m in December 2006.

The Unit-III of the project involves mainly works in regard to the Canal Head Power House (CHPH), underground River Bed Power House (RBPH) and Garudeshwar wier. All works of CHPH were completed in January 1998; however, power could only be generated after the dam had attained the height of EL 110.64 m. All the five units of CHPH have been commissioned successfully during August 2004 to December 2004. All the civil and electrical works of 1200 MW RBPH are complete and the 1st to 6th Units of RBPH have been commissioned in February 2005, April 2005, August 2005, October 2005, March 2006 and June 2006 respectively. Substantial power generation has been started about 2500 Million Units energy was generated by both power houses during 2009-10. The work for Garudeshwar weir was approved by SSCAC in its 76th meeting held on 15th June 2009 but the actual works are yet to be started.

Date: September 2010

(N.K.Bhandari)
Secretary
Sardar Sarovar Construction Advisory Committee

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.0	**प्रस्तावना**	7
1.1	पृष्ठभूमि	7
1.2	गठन	7
1.3	कार्य क्षेत्र	9
1.4	मुख्यालय एवं सचिवालय	10
1.5	कार्य संचालन	10
1.6	स्थायी समिति (पी.एस.सी.)	10
1.6.1	स्थायी समिति का गठन	10
1.6.2	स्थायी समिति के कार्य	12
1.7	पुनरावलोकन समिति	14
2.0	**तकनीकी गतिविधियाँ**	15
2.1	स.स.नि.स.स.की बैठकें	15
2.2	स.स.नि.स.स. की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की बैठकें	17
2.3	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरावलोकन समिति की बैठक	20
2.4	सरदार सरोवर विद्युत परियोजना का बीमा आवरण	20
2.5	परियोजना प्रबोधन एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट	21
2.5.1	मुख्य बाँध एवं अनुषंगिक कार्यो (युनिट-I) की प्रगति	24
2.5.1.1	मुख्य बाँध से संबंधित अन्य कार्यो की प्रगति	26
2.5.1.2	सिंचाई उपमार्ग सुरंग की प्रगति	26
2.5.1.3	गैर संरचनागत उपाय	27
2.5.2	विद्युत गृह कार्यो (युनिट-III) की प्रगति	28
2.5.2.1	नहर शीर्ष विद्युत गृह (सी.एच.पी.एच.)	29
2.5.2.2	नदी तल विद्युत गृह (आर.बी.पी.एच.)	29
2.6	परियोजना व्यय एवं बकाया अंश लागत	30
2.7	विविध गतिविधियाँ	31
2.7.1	सरदार सरोवर परियोजना के कार्यो के संबंधित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपदल, बाँध सुरक्षा पैनल आदि की बैठकें	31
2.7.2	सरदार सरोवर परियोजना स्थल पर विशिष्ट अतिथियों का दौरा	31
3.0	**सचिवालय**	33
3.1	प्रभारी अधिकारीगण	33
3.2	अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी	34
3.3	रिक्त पदों की स्थिति	33
3.4	बजट एवं व्यय	35
3.5	हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग	35

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
3.6	प्रशिक्षण गतिविधियाँ	36
3.7	सर्तकता एवं अनुशासनिक मामले	36
3.8	लोक शिकायत एवं कर्मचारी शिकायत मामले	37
3.9	अनुसूचित जाति/जन जाति कर्मचारियों का कल्याण	37
3.10	कोमी एकता पखवाडा	37
3.11	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	37
3.12	कम्प्यूटरीकरण	38
3.13	सूचना का अधिकार अधिनियम	38
3.14	नागरिक चार्टर	38
3.15	लंबित लेखा परीक्षा पैरे	38

टिप्पणी : वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी अनुवाद करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि यदि अंग्रेजी संस्करण से कहीं भिन्नता है तो अंग्रेजी संस्करण को ही मूल संस्करण माना जावे ।

अनुलग्नक की सूची

अनुलग्नक संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
I(A)	स.स.नि.स.स. का मूल संविधान	40
I(B)	स.स.नि.स.स. के मुख्यालय की प्रस्तावना	44
I(C)	प्रथम संशोधन (दिनांक : 27 दिसम्बर 1980)	45
I(D)	द्वितीय संशोधन (दिनांक : 17 दिसम्बर 1986)	46
I(E)	तृतीय संशोधन (दिनांक : 17 दिसम्बर 1986)	47
II	कार्य संचालन एवं कार्यविधि नियम, 1981	49
III	स.स.नि.स.स. अधिकारियों का सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति/स्थायी समिति के अलावा दूसरे बैठकों में उपस्थिती का विवरण	56
IV	सरदार सरोवर परियोजना कार्य स्थल पर विशेष अथितियों का दौरा	58
V	स.स.नि.स.स. का संगठन चार्ट	59
VI	सरदार सरोवर परियोजना की मुख्य विशेषताएँ	60

संक्षेपण

एन.डबल्यू.डी.टी	:	नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण
जी.आई.एस.	:	गैस बिलगाव स्विचयार्ड
आर.आई.एस.	:	संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम
आर.टी.डी.एस.	:	वास्तविक समय ऑकड़ा अर्जन प्रणाली
आर.बी.पी.एच.	:	नदी तल विद्युत गृह
ई.सी.आई.एल.	:	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
न.नि.प्रा.	:	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
पी.एस.सी.	:	स्थायी समिति
स.स.नि.स.स.	:	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति
सी.एच.पी.एच.	:	नहर शीर्ष विद्युत गृह
सी.एम.ओ.	:	केन्द्रीय यांत्रिकी संगठन
सी.ई.ए.	:	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सी.डबल्यू. इ.एस.	:	केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा
सी.डबल्यू.सी.	:	केन्द्रीय जल आयोग
सी.सी.एस.	:	कम्प्यूटराइज्ड नियंत्रण प्रणाली
एस.एस.आर.आर.सी.	:	सरदार सरोवर जलाशय नियमन समिति

अध्याय – 1
प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

अन्तर्राज्यीय नर्मदा नदी तथा इसकी घाटी पर उठे जल विवाद पर निर्णय देने के लिए भारत सरकार के सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्रालय ने अक्टूबर, 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एन.डब्लू.डी.टी.) का गठन किया था। इस न्यायाधिकरण के अन्तिम आदेश एवं निर्णय को दिसम्बर, 1979 में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार न्यायाधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण पर पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए "सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति" (स.स.नि.स.स.) का गठन करने का आदेश दिया। परियोजना की यूनिट-I (बाँध एवं इससे संलग्न कार्य) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) के कार्यों को कुशलता व मितव्ययता एवं समय पर पूर्ण करने के लिए उक्त निर्माण सलाहकार समिति के गठन को न्यायाधिकरण ने वांछित एवं आवश्यक माना। तदानुसार भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1980 में सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (स.स.नि.स.स.) का गठन किया गया तथा इसकी पहली बैठक 5 दिसम्बर, 1980 को वड़ोदरा में आयोजित की गई।

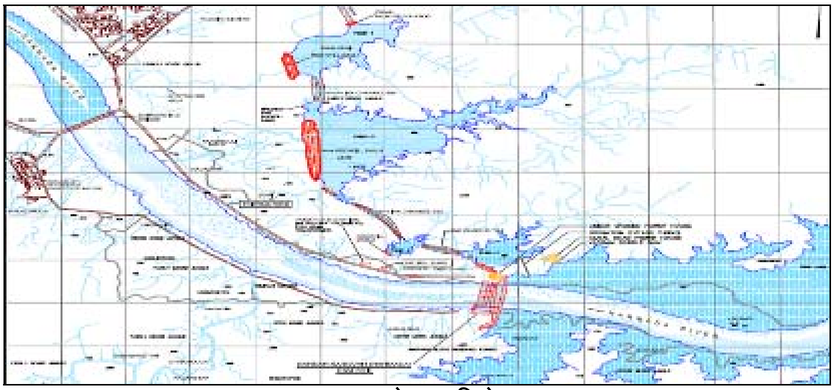

सरदार सरोवर परियोजना

1.2 गठन

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन, मूल रूप से 4 सितम्बर 1980 को सिंचाई मंत्रालय द्वारा जारी किए संकल्प सं. 22/7/80-पी-1 से नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय के प्रभारी सचिव होंगे। तत्पश्चात, इसके गठन में अब तक तीन संशोधन किये गये, उसमें से दो संशोधन अप्रैल, 1986 में एवं एक संशोधन अगस्त, 1987 में किया

गया। सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के गठन करने से सम्बन्धित भारत सरकार के मूल आदेश की प्रति इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट-। (क)** में प्रस्तुत की गई है तथा संशोधित आदेश की प्रतियाँ **परिशिष्ट-। (ग), । (घ) एवं । (च)** में प्रस्तुत की गई हैं।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का वर्तमान स्वरूप निम्नानुसार है :

1.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ।	-अध्यक्ष
2.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग, भारत सरकार* ।	-सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार ।	-सदस्य
4.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार ।	-सदस्य
5.	कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अथवा इसके स्वतन्त्र सदस्य, कार्यकारी सदस्य के प्रतिनिधि रूप में।	-सदस्य
6.	वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।	-सदस्य
7.	मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान सरकार के वित्तीय विभागों के प्रभारी सचिव अथवा इनके नामित।	-सदस्य
8.	गुजरात एवं राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के प्रभारी सचिव अथवा इनके नामित।	-सदस्य
9.	मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार के विद्युत विभाग के प्रभारी सचिव अथवा इनके नामित ।	-सदस्य
10.	मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के राजस्व विभाग अथवा भूमि अधिग्रहण से सम्बद्ध अन्य विभाग के प्रभारी सचिव अथवा उनके नामित।	-सदस्य
11.	महाप्रबन्धक अथवा गुजरात के मुख्य अभियंता, जो परियोजना प्रभारी हैं तथा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की परियोजना के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता अथवा उनके नामित।	-सदस्य
12.	मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के विद्युत मण्डलों के अध्यक्ष अथवा उनके नामित।	-सदस्य
13.	वित्तीय सलाहकार, सरदार सरोवर परियोजना।	-सदस्य
14.	सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति।	-सदस्य सचिव

* विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय का पुनःनामकरण ऊर्जा मंत्रालय है ।

1.3 कार्यक्षेत्र

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिसम्बर, 1979 में दिये गये 4 सितम्बर, 1980 के न्यायिक निर्णय के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गये आदेशानुसार स.स.नि.स.स. के कार्यक्षेत्र में निम्न कार्य सम्मिलित हैं :

i) यूनिट-I एवं यूनिट-III के लिए तैयार किए गए परियोजना प्राक्कलन की समीक्षा करना, आवश्यक संशोधनों के लिए परामर्श देना एवं सम्बन्धित सरकारों को प्राक्कलनों की प्रशासकीय प्रति अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना।

ii) किसी भी सहभागी राज्य द्वारा निर्दिष्ट प्राविधिकता सम्बन्धी रूपरेखा एवं अभिकल्पन से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों की तकनीकी एवं अभिकल्पों की एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना तथा यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों से परामर्श लेना।

iii) धन की उपलब्धता, परियोजना की अर्थव्यवस्था एवं इच्छित परिणामों को ध्यान में रखते हुए परियोजना निर्माण के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को समन्वित ढंग से जांचना एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना।

iv) अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य एवं अन्य उद्देश्यों के लिए धन की आवश्यकताओं की जॉंच करना तथा आवश्यक अनुशंसा करना।

v) परियोजना कियान्वयन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय दोनों प्रकार की प्रत्योजित शक्तियों की समय-समय पर जॉंच करना तथा उसके सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा करना जो परियोजना कार्यों का कुशल निष्पादन करने के लिए आवश्यक है।

vi) कार्य के विभिन्न वर्गो के निर्दिष्टताओं (स्पेशीफिकेशन) की जॉंच करना और जहॉं आवश्यक हो उनकी अनुशंसा करना।

vii) ऐसे उप प्राक्कलनों एवं संविदाए जो महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित की जाने वाली शक्तियों से परे हैं, उन सबकी जॉंच करना एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना।

viii) महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किये गये कार्यों एवं व्यय की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना तथा जहॉं आवश्यक हो कार्यों में तीव्रता लाने हेतु उपायों के लिए अनुशंसा देना।

1.4 मुख्यालय एवं सचिवालय

स.स.नि.स.स. का गठन करने के लिए भारत सरकार के संकल्प में मुख्यालय गाँधीनगर दर्शाया गया था, परन्तु महाराष्ट्र सरकार के सुझाव के अनुसार बाँध स्थल, वड़ोदरा के समीप होने तथा गुजरात सरकार द्वारा स.स.नि.स.स. के लिए वड़ोदरा में कार्यालय एवं कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एस.एस.सी.ए.सी ने दिसम्बर 1980 में आयोजित अपनी पहली बैठक में अपना मुख्यालय वड़ोदरा निर्धारित किया (**परिशिष्ट- I (ख)**)।

एस.एस.सी.ए.सी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त, मुख्य अभियंता पद् के समकक्ष पूर्णकालिक सचिव है । 1986 से सचिव का पद् जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (संवर्ग "अ") सेवा में समाहित कर लिया गया है।

सचिव की सहायता के लिए एक उपसचिव एवं तीन सहायक सचिव पदस्थ हैं, ये भी केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी ("अ"-संवर्ग) सेवाओं से जुडे अधिकारी हैं । इसके कर्मचारियों को सहभागी राज्यों एवं अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों/ अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

1.5 कार्य संचालन

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के न्यायिक निर्णय के अनुसार स.स.नि.स.स. को अपना कार्य संचालन के लिए नियम स्वयं बनाने थे। तदानुसार समिति ने अपनी तीसरी बैठक में अपने कार्य संचालन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों को अनुमोदित किया जिसको समिति ने अपनी 11वीं, 14वीं एवं 67वीं बैठकों के दौरान संशोधित किया। संशोधित नियम **परिशिष्ट - II** में दिये गये हैं।

1.6 स्थायी समिति (पी.एस.सी.)

1.6.1 स्थायी समिति का गठन

सरदार सरोवर परियोजना की यूनिट-I एवं यूनिट-III से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर स.स.नि.स.स. द्वारा संवीक्षा एवं संस्तुति करने की व्यवस्था को सुवाही आकार प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए 9 जून, 1983 को अपनी 9वीं बैठक के दौरान एक स्थायी समिति के गठन करने का निर्णय लिया। स्थायी समिति का गठन करने से सम्बन्धित निबंधन एवं

सन्दर्भ सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप स्थायी समिति की प्रथम बैठक जो 9 अगस्त, 1983 को आयोजित की गई, में दिया गया। इस प्रस्ताव में समिति के अध्यक्ष नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे तथा केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (आयोजन एवं परियोजना), सरदार सरोवर परियोजना के वित्तीय सलाहकार एवं स.स.नि.स.स. के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। स.स.नि.स.स. ने उक्त प्रस्ताव को 25 अगस्त, 1983 को हुई अपनी 10वीं बैठक में स्वीकार किया। स.स.नि.स.स. ने 22 सितम्बर, 1986 को आयोजित 26वीं बैठक में स्थायी समिति का पुनर्गठन किया जिसमें चारों सहभागी राज्यों के प्रतिनिधियों एवं जल संसाधन मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार को भी शामिल कर लिया गया। स.स.नि.स.स. ने 29 जून, 1987 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में स्थायी समिति के गठन में पुनः संशोधन किया जिसमें समिति के अध्यक्ष पद पर न.नि.प्रा. के कार्यकारी सदस्य को न.नि.प्रा. के अध्यक्ष की जगह पर मनोनीत किया गया। स.स.नि.स.स. ने 24 अगस्त 1998 को आयोजित 64वीं बैठक में केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता (सी.एम.ओ) को सदस्य (परियोजना एवं प्रगति) की जगह पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया।

स्थायी समिति का वर्तमान गठन निम्नानुसार है :

1. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
2. सदस्य (एच.ई.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार ।
3. मुख्य अभियंता, (सी.एम.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार ।
4. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ।
5. सचिव (नर्मदा), नर्मदा एवं जल संसाधन तथा जल आपूर्ति विभाग, गुजरात सरकार ।
6. निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), एस.एस.एन.एन.लि., गुजरात सरकार।
7. सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सरकार।
8. मुख्य अभियंता एवं संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई क्षेत्र, जोधपुर, राजस्थान सरकार।
10. सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, भारत सरकार (सदस्य सचिव)।

1.6.2 स्थायी समिति के कार्य

स.स.नि.स.स. द्वारा अपनी 10 वीं बैठक में अनुमोदित किए गये प्रस्ताव के अनुसार स्थायी समिति के कार्य निम्नानुसार हैं :

i) परियोजना के समस्त प्राक्कलनों की संवीक्षा करना व उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित करना।

ii) स.स.नि.स.स. की ओर से ऐसे प्रत्येक प्राक्कलन की जाँच करना तथा उस पर स्वीकृति प्रदान करना जो महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियंता की शक्तियों से परे हैं व 20 करोड रुपये तक के हैं। इन प्राक्कलनों को सम्बन्धित सरकार को प्रशासनीय अनुमोदन के लिए अनुशंसा करना । तथा ऐसे प्राक्कलन जो 20 करोड रुपये से अधिक लागत मूल्यों के हैं प्रत्येक की जाँच करना व स.स.नि.स.स. को स्वीकृति के लिए अनुशंसित करना।

iii) स.स.नि.स.स. को भेजे गए परियोजना कार्यों की प्राविधिक रुपरेखा एवं अभिकल्पन की संवीक्षा करना ओर भेजने वाले प्राधिकरण को अपनी अनुशंसा से अवगत कराना। ऐसे प्रकरण जिनमें पी.एस.सी. द्वारा की गयी अनुशंसा के कारण, स.स.नि.स.स. द्वारा पूर्व अनुमोदित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर आता हो तो स्थायी समिति को ऐसे सभी मुद्दे एस.एस.सी.ए.सी को अनुमोदन के लिए भेजने होंगे।

iv) परामर्शदाता के पैनल और/ अथवा विशेषज्ञ संस्थाओं को भेजी जाने वाली समस्याओं की पहचान करना तथा उन्हें एस.एस.सी.ए.सी को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए अनुशंसा करना। परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित सुझावों पर कार्यवाही करके अपनी अनुशंसा को एस.एस.सी.ए.सी को प्रस्तुत करना।

v) यूनिट -I एवं यूनिट -III के निर्माण कार्यक्रमों की समीक्षा करना, परियोजना के सभी कार्यों की मासिक प्रगति की समीक्षा करना तथा निर्माण कार्यक्रमों में यदि किसी संशोधन/ समायोजन की आवश्यकता हो तो निर्माण प्राधिकरण को इसकी अनुशंसा करना।

vi) कार्यो में हुई प्रगति के आधार पर तथा स.स.नि.स.स. द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण वार्षिक परिव्यय के अन्तर्गत यूनिट-I एवं यूनिट -III में या इन यूनिटों के मध्य अथवा/ और यूनिट के अन्तर्गत एक कार्य से दूसरे कार्य में विनियोजित करने की अनुशंसा करना।

vii) परियोजना अधिकारियों की शक्ति से बाहर व 20 करोड रुपये तक के परियोजना कार्यों की निविदाओं की जाँच करना एवं सम्बन्धित सरकारों को अनुशंसा करना।

viii) परियोजना कार्यों की निर्दिष्टाओं की जाँच करना एवं उस पर अपनी अनुशंसा करना।

ix) 20 करोड रुपये से अधिक लागत वाले परियोजना कार्यों की निविदा की जाँच करना तथा उस पर स.स.नि.स.स. को अपनी अनुशंसा देना।

x) स.स.नि.स.स. के सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत पदों का सृजन करने की अनुशंसाएँ करना तथा सम्बद्ध भर्ती नियमों की स्वीकृति प्रदान करना।

xi) स.स.नि.स.स. द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये गये ऐसे सभी कार्यो को करना।

स.स.नि.स.स. की 29 सितम्बर, 1987 को आयोजित हुई 29 वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के ऊपर से ठेकेदारों के दावों का निपटारा करने के लिए पी.एस.सी. क्लेम समिति का कार्य करेगी।

एस.एस.सी.ए.सी की 68 वीं बैठक, जो 27 जून, 2002 को हुई थी, के निर्णयानुसार, स्थायी समिति के समेकित कार्य, क्लेम कमेटी की तरह निम्नानुसार होंगे।

(क) उन सभी दावों का जो अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण आये व स.स.नि.स.स. द्वारा अनुमोदित संविदाओं से सम्बन्धित हैं।

(ख) स.स.नि.स.स. द्वारा अनुमोदित सभी निविदाओं से सम्बन्धित वे सभी दावे जो निविदा कार्य की मात्रा में बदलाव या अतिरिक्त कार्यों के कारण उठे व जिनमें प्रत्येक दावा 5 करोड रुपये से ज्यादा हो।

(ग) स.स.नि.स.स. द्वारा अनुमोदित सभी निविदाओं से सम्बन्धित वे सभी दावे जो निविदा मद की मात्रा में बदलाव या अतिरिक्त मदों या अनपेक्षित कारणों से उठे व दिये गये कुल दावे, कार्य विशेष की 25% निविदा मूल्य से अधिक हो गये हों।

(घ) परियोजना अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई सभी निविदाओं के बारे में सभी दावे जो मात्रा में बदलाव या अतिरिक्त मदों या अनपेक्षित कारणों से उठे व कुल दावे, कार्य विशेष की 10% निविदा मूल्य से अधिक हों।

1.7 पुनरावलोकन समिति

स.स.नि.स.स. द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर असहमति की स्थिति उत्पन्न होने पर, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार गठित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पुनर्विलोकन समिति स.स.नि.स.स. की **पुनरावलोकन समिति** के रुप में भी कार्य करती है। **पुनरावलोकन** समिति स्वयं के विवेक पर अथवा सहभागी राज्यों द्वारा आवेदन करने पर स.स.नि.स.स. द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय पर पुनर्विलोकन करेगी। **पुनरावलोकन** समिति द्वारा दिये गये निर्णय अन्तिम होंगे और सम्बन्धित राज्यों पर बाध्यकारी होंगे। **पुनरावलोकन** समिति की बैठक जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में होती है तथा गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री और पर्यावरण एवं वन मामलों के केन्द्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव बिना मताधिकार के इस **पुनरावलोकन** समिति के संयोजक होते हैं।

अध्याय-2
तकनीकी गतिविधियाँ

2.1 स.स.नि.स.स. की बैठकें

स.स.नि.स.स. को सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I एवं यूनिट-III के कार्यों को कुशलता, मितिव्ययता एवं शीध्रतापूर्वक पूरा करना सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I एवं यूनिट-III के कार्यक्रम/ निर्माण की प्रगति, प्राक्कलन, दावों अंश लागत का भुगतान आदि से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करती है ।

समिति की 76 वीं बैठक दिनांक 15.06.2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

i) सरदार सरोवर विद्युत परियोजना बीमा आवरण :

सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, गुजरात सरकार द्वारा सरदार सरोवर विद्युत परियोजना का रूपये 1797 करोड़ का बीमा आवरण मेसर्स एच.डी.एफ.सी. एम्जे जनरल इन्श्योरेंन्स कंपनी लिमिटेड, वडोदरा से 96,79,900/- रूपये के प्रीमियम पर 01.10.2009 से 30.09.2010 की अवधि के लिए लिया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सरदार सरोवर विद्युत परियोजना का बीमा आवरण प्रत्येक वर्ष लिया जाए।

ii) साझेदार राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना की अंशलागत का भुगतान :

समिति ने महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार को गुजरात सरकार के साथ अविवादित अंशलागत में किये गए खर्च के आँकडों का समाधान करने का निर्देश देते हुए गुजरात सरकार को देय अंश लागत को शीध्र भुगतान के लिए कार्यवाही करने को कहा।

iii) सरदार सरोवर परियोजना वार्षिक विकास योजना 2008-09 :

अध्यक्ष द्वारा देखा गया कि वर्ष 2008-09 बीत चुका है अतः इसकी वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन का कोई औचित्य नहीं है, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, गुजरात सरकार वर्ष 2008-09 के दौरान सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I एवं यूनिट-III के पर हुए वास्तविक खर्च की जानकारी वर्ष 2009-10 के वार्षिक विकास योजना के साथ स्थाई समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करे, तत्पश्चात इसे सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा निर्णय

लिया गया कि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि., गुजरात सरकार, सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I एवं यूनिट-III के कार्यो पर वर्ष 2008-09 के दौरान हुए वास्तविक खर्च का विवरण, वर्ष 2009-10 की वार्षिक विकास योजना के साथ स्थाई समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।

iv) गरूडेश्वर वियर के निर्माण के लिए संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम (आर.आई.एस. **सितम्बर** –2003) :

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तीनों संबन्धित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात गरूडेश्वर वियर के निर्माण के लिए सहमत हैं अतः सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि., गुजरात सरकार को गरूडेश्वर वियर के निर्माण के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए।

v) मे. जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा 1993-94 से 1997-98 तक विभिन्न वर्षो में सरदार सरोवर बाँध के स्पिलवे की उंचाई बढ़ाने पर प्रतिबंध लगने के कारण कॉंक्रीट की प्रगति में कमी होने का दावा प्रस्तुतिकरण :

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दोनों राज्य मध्य प्रदेश एवं गुजरात मामले का समाधान आपस में करें एवं इसके पश्चात मामला सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

vi) वास्तविक समय ऑंकडा अर्जन प्रणाली – जल प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना :

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुंबध दस्तावेज के अनुसार में. ई.सी.आई.एल. के साथ अनुंबध समाप्त किया जाए एवं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण सचिवालय तदानुसार कार्यवाही करे । यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें/ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण सचिवालय, मध्य नर्मदा बेसिन में अंतर्वाह/ बाढ़पूर्वानुमान कार्य केन्द्रीय जल आयोग से कराये जाने के लिए के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को भेजें, जो इस कार्य को किए जाने के लिए जॉंच सके।

vii) सीएचपीएच एवं आरबीपीएच हेतु हाइड्रो उपकरणों की आपूर्ति के लिए मेसर्स भेल **का लंबित भुगतान**

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मे. भेल को सीएचपीएच एवं आरबीपीएच के हाईड्रो उपकरणों की आपूर्ति के लिक्विडेटेड डैमेज, मूल्य परिवर्तन एवं घरोहर राशि के लंबित भुगतान के संबन्ध में गुजरात सरकार एक विस्तृत टीप, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के सचिवालय को दे। सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति इसे मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार के साथ देखेगी।

2.2 स.स.नि.स.स. की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की बैठकें

इस वर्ष स.स.नि.स.स. की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की दो बैठकें हुई । 97 वीं बैठक 18 सितम्बर 2009 को नई दिल्ली में एवं 98 वीं बैठक 22 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में हुई। उपरोक्त बैठकों में लिए गये मुख्य निर्णयों का व्यौरा निम्नानुसार है :

अ) स.स.नि.स.स. की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की 97 वीं बैठक

i) सरदार सरोवर परियोजना के भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के सिविल कार्यो के लिए समय सीमा का विस्तार एवं दरों में संशोधन

समिति द्वारा स.स.नि.स.स. को भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के शेष कार्यों के लिए रू. 79.097 करोड़ एवं मुख्य बाँध के शेष कार्यों के लिए रू. 257.49 करोड़ लागत की सिफारिश की गई यह लागत टेल रेस चैनल के लिए अपनाई गई पद्धति के अनुसार है । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर गुजरात सरकार द्वारा दी जाने वाली की प्रतिकिया पर भी स.स.नि.स.स. की बैठक में चर्चा की जाएगी ।

ii) गरूडेश्वर वियर के निर्माण के लिए संशोधित कार्यान्वयन कार्यकम (आर.आई.एस.-सितम्बर 2003)

समिति द्वारा महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि पानी को पंप करने लिए विद्युत खर्च के अंशदान पर अपना मत प्रस्तुत करे ।

iii) यूनिट-I (बाँध एवं आनुषंगिक कार्यो) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) के 2000-2001 मूल्य स्तर पर संशोधित प्राक्कलन

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संशोधित प्राक्कलन पर, स्थाई समिति की अगली बैठक में, केन्द्रीय जल आयोग/ जल संसाधन मंत्रालय की तकनिकी सलाहकार समिति की सरदार सरोवर परियोजना के संशोधित प्राक्कलन पर बैठक के पूर्व, अंतिम निर्णय लिया जाए। समिति द्वारा मध्य प्रदेश सरकार एवं अन्य सदस्यों को निर्देश दिया कि सरदार सरोवर परियोजना के वर्ष 2008-09 मूल्य स्तर पर आधारित पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों तो, स.स.नि.स.स. को दिनांक 18.01.2010 तक प्रस्तुत करें । इसके बाद समिति द्वारा प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राक्कलन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

iv) सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I (बाँध एवं आनुषंगिक कार्यो) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) के कार्यो की प्रगति की समीक्षा

समिति ने सरदार सरोवर परियोजना के कार्यो की प्रगति को नोट किया ।

v) गोडबोले गेट के लिए नियंत्रण प्रकिया की स्थापना

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि गोडबोले गेट पर नियंत्रण प्रणाली लगाने की लागत की तुलना में इससे होने वाला लाभ बहुत ज्यादा है अतः मध्य प्रदेश सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया । समिति द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया कि इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण स.स.नि.स.स. सचिवालय को शीध्र प्रस्तुत करें ।

vi) सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I (बॉध एवं आनुषंगिक कार्यो) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) के कार्यो की वार्षिक विकास योजना (2009-10) का प्रारूप प्रस्ताव

समिति ने सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I (बॉध एवं आनुषंगिक कार्यो) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) घटकों के लिए रूपये 177.00 करोड़ की वार्षिक विकास योजना 2009-10 को स.स.नि.स.स. की स्वीकृति के लिए संस्तुति की ।

iv) नर्मदा बेसिन में वास्तविक समय ऑकड़ा अर्जन प्रणाली (आर.टी.डी.ए.एस.) की प्रगति की समीक्षा

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को स.स.नि.स.स. की स्थाई समिति में प्रस्तुत करने के पूर्व इस पर हाइड्रोमेट उपदल में चर्चा की जाए ।

v) ऊर्जा प्रबंधन केन्द (ई.एम.सी) परियोजना पैकेज- I व II के मेसर्स भेल के करार को बंद करना

समिति ने निर्णय लिया कि यह मामला पहले ऊर्जा उप समिति में प्रस्तुत किया जाए एवं निर्णय होने पर इसे स्थाई समिति मे विचारार्थ भेजा जाए ।

ix) मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा सरदार सरोवर परियोजना में तिलकवाड़ा में नदी शोल में रेत की अधिक मात्रा सम्हालने पर प्रस्तुत दावा

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह मामला स.स.नि.स.स. द्वारा देखा जा चुका है अतः स्थाई समिति में इस मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

vi) सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I (बॉध एवं आनुंषगिक कार्यो) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) के कार्यो की वार्षिक विकास योजना (2010-11) का प्रारूप प्रस्ताव

समिति द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार के निर्देश दिया कि वार्षिक विकास योजना के लिये लागत, प्राथमिकता पर गुजरात सरकार को उपलब्ध कराए एवं गुजरात सरकार एक महीने के अंदर वार्षिक विकास को कार्यकम प्रस्तुत करें जिससे स्थाई समिति की अगली बैठक में इस पर चर्चा हो सके ।

ब) स.स.नि.स.स. की स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की 98 वीं बैठक

vii) गरूडेश्वर वियर के निर्माण के लिए संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम (आर.आई.एस. सितम्बर-2003)

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि गरूडेश्वर वियर के निर्माण का अनुमोदन स.स.नि.स.स. बैठक में दिया जा चुका है अतः गुजरात सरकार निवीदा प्रक्रिया पूरा करना जारी रखे जिससे निर्माण में विलम्ब नहीं हो । विचार विमर्श के बाद समिति ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि पंपिग उर्जा की लागत का बॅंटवारा करने के मुद्दे पर अपना विचार स.स.नि.स.स. सचिवालय को तीन सप्ताह की समयावधि में प्रस्तुत करें।

viii) यूनिट-I (बॉंध एवं आनुषंगिक कार्यो) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) के 2008-2009 मूल्य स्तर पर संशोधित प्राक्कलन

समिति द्वारा यूनिट-I (बॉंध एवं आनुषंगिक कार्यो) एवं यूनिट-III (जल विद्युत) की संशोधित अनुमानित लागत क्रमशः रू 8930.53 करोड़ एवं रू 2910.89 करोड़ स.स.नि.स.स. की स्वीकृति के लिए अनुमोदित की गई। समिति द्वारा गुजरात सरकार को निर्देश दिया गया कि स.स.नि.स.स. की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु विवादित मदों को दर्शाता हुआ सार एवं 2008-09 मूल्य स्तर पर विवादित मदों की लागत में वृद्वि/ कमी को दर्शाता व्यौरा भेजे ।

ix) सरदार सरोवर परियोजन के यूनिट -I एवं यूनिट-III के कार्यों की प्रगति की समीक्षा

समिति ने सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I एवं यूनिट-III के कार्यों की प्रगति को नोट किया एवं गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि नदी तल विद्युत गृह की कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली का कार्य उच्च प्राथमिकता पर पूरा करें एवं कार्य की वस्तुस्थिति तुरंत स.स.नि.स.स. सचिवालय को भेजें ।

iv) गोडबोले गेट के लिए नियंत्रण प्रणाली की स्थापना

विचार विमर्श के बाद मध्य प्रदेश सरकार की टिप्पीणियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने निर्णय लिया कि गोडबोले गेट के लिए नियंत्रण प्रणाली की स्थापना का कार्य आगे बढाया जाए ।इस नियंत्रण प्रणाली की लागत यूनिट- III पर प्रभारित होगी ।

v) सरदार सरोवर परियोजना की यूनिट-I एवं यूनिट-III की वार्षिक विकास योजना 2010-11 का प्रारूप प्रस्ताव

समिति द्वारा गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-I यूनिट-III के वार्षिक विकास योजना का प्रस्ताव मार्च 2010 के दूसरे सप्ताह तक स.स.नि.स.स. सचिवालय को भेजें ।

गोडबोले गेट से बहाव

2.3 नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरावलोकन समिति की बैठक

वर्ष 2008-2009 के दौरान **पुनरावलोकन** समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई । नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की **पुनरावलोकन** समिति की अंतिम बैठक (13 वीं) माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । इस बैठक में **पुनरावलोकन** समिति ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई को 110.64 मीटर उन्नयन स्तर से 121.92 मीटर उन्नयन स्तर तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के निर्णय की समीक्षा की एवं 6-7 अप्रैल, 2006 को मंत्रियों के दल द्वारा मध्य प्रदेश के कुछ पुर्नवास स्थलों पर किये गये उनके दौरों के आधार पर प्राप्त हुई रिपोर्ट पर भी विचार किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये सभी पहलुओं पर विचार करते हुए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की **पुनरावलोकन** समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेशों के अनुरूप वे इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

2.4 सरदार सरोवर विद्युत परियोजना का बीमा आवरण

सरदार सरोवर विद्युत परियोजना के बीमा आवरण के लिए बनाई अधिकार समिति के सिफारिश पर सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमेटेड, गुजरात सरकार द्वारा सरदार सरोवर विद्युत परियोजना का रूपये 1797 करोड़ का बीमा आवरण मेसर्स एच.डी.एफ.सी. एम्जे जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, वडोदरा से रूपये 96,79,900/- के प्रीमियम पर 01.10.2009 से 30.09.2010 तक की अवधि के लिए लिया गया ।

नर्मदा मुख्य नहर

2.5 परियोजना प्रबोधन एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने बाँध, विद्युतगृह एवं अन्य आनुषंगिक कार्य स्थल का दौरा किया एवं परियोजना अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति एवं अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए विचार-विमर्श किया गया।

सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह के कार्यों की प्रगति को सूक्ष्मता से प्रबोधन करने के लिए 14 नवम्बर 2002 को आयोजित 86 वीं स्थायी समिति की बैठक में केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एवं सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों को लेकर एक प्रबोधन दल बनाने का निर्णय लिया गया था। यह प्रबोधन दल नदी तल विद्युत गृह के पूर्ण होने तक कार्यरत था। प्रबंधन दल की अंतिम बैठक 14 नवम्बर 2005 को आयोजित की गई थी।

सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह की छठवीं एवं अंतिम यूनिट जून 2006 में कमीशन हो चुकी थी ।इसकी सभी यूनिटों का परिचालन एवं रख रखाव का कार्य अब गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड के पास है। नदी तल विद्युत गृह में अग्निशमन प्रणाली, लिफ्ट, रोशनदान प्रणाली, वातानुकूलन कार्य, विद्युत गृह में प्रकाश, व्यवस्था, लाउडो फोन का कार्य पूर्ण हो चुका है। नदी तल विद्युत गृह में कम्प्यूटराइज्ड नियंत्रण प्रणाली (सी.सी.एस.) आदि की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है एवं पूर्ण होने के की स्थिती पर है। दोनों विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन की योजना एवं परिचालन का कार्य नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र के दिशा निर्देशों के तहत् किया जाता है।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति सचिवालय द्वारा परियोजना व्यय एवं साझेदार राज्यों के अंश लागत की स्थिति माहवार आधार पर बनायी जाती है एवं इसे वर्ष 2009-10 के दौरान सभी साझेदार राज्यों/जल संसाधन मंत्रालय के बीच नियमित परिचालित किया गया।

2.5.1 मुख्य बॉंध एवं आनुषंगिक कार्यो (यूनिट–I) की प्रगति

सर्वोच्च न्यायालय में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के द्वारा दायर याचिका के कारण बॉंध के मुख्य स्पिलवे का कार्य पॉंच वर्षो से ज्यादा रूका रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्तूबर 2000 को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया जिसमें न्यायालय ने बॉंध की ऊॅंचाई को 90 मीटर तक उठाने की अनुमति दी एवं बॉंध के आगे का निर्माण नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप करने का निर्देश दिया। ब्लॉक सं. 36 से 46 तक को 90 मीटर तक ऊॅंचा उठाने का कार्य 30 दिसम्बर 2000 को पूरा कर लिया गया था।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, जो सरदार सरोवर परियोजना के पुर्नस्थापन एंव पुर्नवास का प्रबंधन कर रहा है, द्वारा 17 नवम्बर 2000 को आयोजित 61 वीं बैठक में पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास के कार्यो को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना निर्धारित की गई। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्घारित इस कार्य योजना को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरावलोकन समिति ने 10 जनवरी 2001 को हुई 8 वीं बैठक में स्वीकार कर लिया गया। उपर्युक्त कार्य योजना के अनुसार पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास कार्यक्रम की समय सीमा एवं बॉंध को पूर्ण करने के अनंतिम कार्य सूची **तालिका 2.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1

बॉंध की ऊॅंचाई (ई.एल) (जलोत्थान स्तर)	सभी नागरिक सुख-सुविधाओं के विकास, उन्नत कृषि उपयोगी भूमि व आवासीय भवन हेतु प्लाट एवं आर एण्ड आर साईट पर मुख्य रिहायशी भवन व जमीन एवं भवन प्लाट की परियोजना प्रमाणित परिवारो को आवन्टित करने की तिथि	आर. एण्ड आर. व पर्यावरण उपसमूह की अनुमति एवं न.नि.प्रा. के अनुमोदन के उपरान्त बाँध कार्यों को पूरा करने की तिथि
90 मीटर (112.75 मीटर)	कार्य पूर्ण	
100.0 मीटर (120.04 मीटर)	दिसम्बर, 2001	जून, 2002
110.0 मीटर (127.10 मीटर) *	दिसम्बर, 2002	जून, 2003
121.0 मीटर (136.00 मीटर) **	दिसम्बर, 2003	जून, 2004
138.68 मीटर	दिसम्बर, 2004	जून, 2005

* 110 मीटर के बजाय बॉंध की उंचाई न.नि.प्रा. की दिनांक 12/13 मार्च 2004 को हुई 70वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 110.64 मीटर तक की गई थी। (एम.डी.डी.एल. के अनुकूल) (जलोत्थान स्तर 128.16 मी.)

** 121 मीटर के बजाय बाँध की उंचाई न.नि.प्रा. की दिनांक 11 मई 2004 को हुई 71वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 121.92 मीटर की जाएगी ।

पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास कार्यों के पूरा न होने के कारण नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के उपरोक्त नियत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 17 मई, 2002 को संपन्न 64 वीं बैठक में बाँध की प्रभावी ऊँचाई को 95 मीटर तक बढाने की अनुमति प्रदान की और यह कार्य जुलाई, 2002 में पूरा कर लिया गया। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 14 मई, 2003 को आयोजित अपनी 66 वीं (आपातकालीन) बैठक में मुख्य स्पिलवे ब्लॉकों (सं. 30 से 46) को 100 मीटर उन्नयन स्तर तक ऊँचा उठाने तथा ब्लॉक संख्या 30 एवं 46 को अनुप्रवाह शमन कुंड की सुरक्षा के लिए ऐसे ही छोडते हुए, ब्लॉक सं. 31 से 45 के ऊपर 3 मीटर ऊँचे हंप बनाने की अनुमति प्रदान की। उक्त कार्य जून, 2003 तक पूरा कर लिया गया था। तत्पश्चात्, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 12-13 मार्च, 2004 को आयोजित अपनी 70 वीं बैठक में स्पिलवे ब्लॉक सं. 30 से 46 तक को 110.64 मीटर उन्नयन स्तर तक ऊँचा उठाने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद, ब्लॉक संख्या 29, 47, 48, 49 एवं 50 जो 105 मीटर उन्नयन स्तर पर थे, उन्हें भी 110.64 मीटर तक ऊँचा उठाने की जरूरत थी ताकि बाँध की प्रभावी ऊँचाई 110.64 मी. हो जाए। कुल 1,64,699 घनमीटर कंक्रीटिंग का कार्य 16 मार्च, 2004 को शुरू होकर 30 जून, 2004 तक पूरा हो गया था। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 8 मार्च, 2006 को आयोजित 76 वीं आपातकालीन बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास कार्यो पर विचार-विमर्श एवं पर्यावरणीय और पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास उपदलों के अनुमोदन के पश्चात ब्लॉक सं. 30 से 46 को 121.92 मीटर तक ऊँचा उठाने की अनुमति प्रदान की।

दिनांक 16 अप्रैल 2006 को अध्यक्ष, पुनरावलोकन समिति, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिये गए संदर्भ एवं दिनांक 17 अप्रैल 2006 को उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणी के संदर्भ में प्रधान मंत्री द्वारा सरदार सरोवर परियोजना राहत एवं पुनर्वास निरीक्षण दल (ओ.एस.जी.) का गठन भारत के पूर्व लेखा महा नियंत्रक श्री वी.के. शांगलू की अध्यक्षता में किया गया। इस तीन सदस्यीय दल को सरदार सरोवर बाँध को 110.64 मी. स्तर से 121.92 मी. स्तर तक उठाने से प्रभावित होने वाले परिवारों की मध्य प्रदेश में पुनर्वास की स्थिति का सत्यापन करना था ।

निरीक्षण दल द्वारा मध्य प्रदेश में परियोजना प्रभावित परिवारो की पुनर्वास की स्थिति की रिपोर्ट 8 मई 2006 को उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई । इस दौरान मानसून पूर्व बाँध 119.00 मी. स्तर तक बनाया जा चुका था । 10 जुलाई 2006 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया

गया कि निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अवलोकन एवं जानकारियों के आलोक में जनहित में बनाई जा रही परियोजना का कार्य रोकना उचित नही होगा । निर्णय में मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिये गए कि कार्य बन्द होने के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जाए जिससे राहत एवं पुनर्वास स्थलों की स्थिति एक दूसरे के समरूप की जा सके एवं यह कार्य बाँध कार्य पुनः आरंभ करने के पहले पूरा किये जाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए । बाँध के मुख्य एवं सहायक स्पिलवे ब्लाकों को 119 मी. स्तर से 121.92 मी. स्तर तक उठाने का कार्य 28 अक्तूबर 2006 को आरंभ कर 31 दिसम्बर 2006 को पूरा किया गया ।

बाँध के स्पिलवे भाग में खम्भों को उठाने एवं त्रिज्याकार फाटक लगाने का शेष कार्य करना बाकी रह गया है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बाँध की ऊँचाई को आगे बढ़ाने की अनुमति अब नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय उपदल एवं पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास उपदल द्वारा अनापत्ति दिये जाने के बाद एवं गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के शिकायत निवारण प्राधिकरण से परामर्श पर दी जाएगी।

मार्च 2010 तक सम्पादित मुख्य बाँध (यूनिट- I) की समग्र प्रगति को **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2

मार्च 2010 तक मुख्य बाँध (यूनिट-I) के कार्यो की प्रगति

मदें	मात्रक	अनुमानित मात्रा	मार्च 2009 तक की प्रगति	प्रतिवेदन अवधि के दौरान प्रगति	मार्च 2010 तक संचयी प्रगति	मार्च 2010 तक प्रतिशत प्रगति
खुदाई	हजार घन मीटर	6400	6359.01	0.00	6359.01	99.36
कंक्रीटिंग						
बाँध	हजार घन मीटर	5620	5183.07	0.00	5183.07	92.22
स्टेलिंग बेसिन		1200	1393.52	0.00	1393.52	116.13
उप योग		6820	6576.59	0.00	6576.59	96.43
ड्रिलींग एवं ग्राउटिंग	हजार प्रति मीटर	282	250.45	0.00	250.45	88.81

31 मार्च 2010 अंत तक बाँध के विभिन्न ब्लॉक स्तरों की उंचाई का विवरण **तालिका 2.3** में दर्शायी गयी है ।

तालिका - 2.3

सरदार सरोवर परियोजना – 3115
2010 अंत तक ब्लॉक स्तरों का विवरण

ब्लॉक सं	स्तर (मीटर में)	ब्लॉक सं	स्तर (मीटर में)	ब्लॉक सं	स्तर (मीटर में)
1	146.50	23	121.92	45	121.92
2	146.50	24	121.92	46	121.92
3	146.50	25	121.92	47	121.92
4	146.50	26	121.92	48	121.92
5	146.50	27	121.92	49	121.92
6	146.50	28	121.92	50	121.92
7	146.50	29	121.92	51(उत्प्ला)	121.92
8	146.50	30	121.92	51 (अनु)	146.50
9	146.50	31	121.92	52	146.50
10	146.50	32	121.92	53	146.50
11	146.50	33	121.92	54	146.50
12	125.00	34	121.92	55	146.50
13	125.00	35	121.92	56	146.50
14	134.00	36	121.92	57	146.50
15	134.00	37	121.92	58	146.50
16	134.00	38	121.92	59	146.50
17	134.00	39	121.92	60	146.50
18	134.00	40	121.92	61	146.50
19	132.00	41	121.92	62	146.50
20	132.00	42	121.92	63	146.50
21(अनु) 21(उत्प्ला)	130.00 121.92	43	121.92	64	146.50
22	121.92	44	121.92		

नोट:

1. अनुत्प्लावी ब्लॉक सं. 13 अनुप्रवाह में ई.एल. 121.0 मी. से ई.एल 125 मी. तक विकृत भाग है ।ई.एल 134 मी. तक सुरक्षा कार्य कर दिया गया है ।
2. अनुत्प्लावी ब्लॉक सं. 12 में ई.एल 125.0 मी से ई.एल 134.50 मी. तक सुरक्षा कार्य कर दिया गया है ।
3. अनुत्प्लावी ब्लॉक सं 14 एवं 18 में ई.एल 134.0 मी से ई.एल 134.50 मी. तक सुरक्षा कार्य कर दिया गया है ।
4. अनुत्प्लावी ब्लॉक सं 19 एवं 20 में ई.एल 132.0 मी से ई.एल 134.50 मी. तक सुरक्षा कार्य कर दिया गया है ।
5. अनुत्प्लावी ब्लॉक सं 21 में ई.एल 130.0 मी से ई.एल 134.50 मी. तक सुरक्षा कार्य कर दिया गया है ।

2.5.1.1 मुख्य बाँध से संबंधित अन्य कार्यो की प्रगति

निर्माण रेखाचित्र के अनुसार कुल 432 उपकरणों को मुख्य बाँध के ब्लॉक सं 13,18,23,25,34,37,43,47,51,55 एवं 58 में स्थापित करना है । ब्लॉक संख्या 34 में उपकरण निरीक्षण केबिन का प्रावधान है । परियोजना प्राधिकारी द्वारा सभी 432 उपकरणों की खरीद कर ली गई है, जिसमें से 379 उपकरणों को स्थापित कर दिया गया है एवं केवल 53 उपकरणों की स्थापित करना शेष है ।

बाँध क्षेत्र के पास भूकंपनीयता का प्रबोधन करने हेतु नौ भूकंपीय प्रेक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं इन केन्द्रों से भूकंपीय आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। केवड़िया कालोनी स्थित केन्द्रीय स्टेशन पर कम्प्यूटर आधारित भूंकपीय आंकड़ो की प्रकिया एवं विश्लेषण (डी.ए.सी.300) का कार्य चुम्बकीय प्लेबैक प्रणाली एवं डिजिटाईजर से किया जाता है। बाँध के अंदर दस तीव्र गति के डिजिटल एक्सेलेरोग्राफ भी स्थापित किये जायेंगे। स्पिलवे के ब्लॉक सं. 43 में तीन, विद्युत बाँध के ब्लॉक सं. 55 में दो, अनुत्प्लावी ब्लॉक सं. 13 में एक तथा एक-एक बाँध के दांये एवं बांये छोर के प्रत्येक अंत्याधारों एवं दो एक्सेलेरोग्राफ नदी तल विद्युत गृह में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

2.5.1.2 सिंचाई उपमार्ग सुरंग की प्रगति

सिंचाई उपमार्ग सुरंग की अनिवार्यता का निर्णय 18 जुलाई 2000 को आयोजित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 60 वीं बैठक में लिया गया, जिसे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरावलोकन समिति ने 18 अगस्त 2001 को आयोजित 9 वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की । 5.5 मीटर व्यास की दो गोलाकार सुरंगे मुख्य जलाशय के दांई ओर जुड़ी एक पहाड़ी से होते हुए प्रथम तालाब से जुड़ी है। जुडवां उपमार्ग सुरंग जो प्रवेश द्वार पर 88.39 मी. के स्तर पर है, की निस्सरण क्षमता 97.54 जल स्तर पर 283.12 घ.मी./से. (10,000 घ.फु/से.) और 110.64 मी. जल स्तर पर 441.66 घ.मी./से. (15000 घ.फु./से.) है।

सिंचाई उपमार्ग सुरंग में सेवा फाटकों की स्थापना एवं द्रवचालित उत्थापक के कार्य पूरे हो चुके है एवं जल परीक्षण का कार्य बाँध के उपर से बहाव होने पर किया जाना निर्धारित किया गया है। खुदाई, पत्थर आवरण की कंक्रीटिंग, स्टील लायनर का अधिष्ठापन, स्टील लायनर के आस-पास कांक्रीटिंग तथा सेवा फाटक उच्चालक कक्ष आदि कार्य पूरे हो चुके हैं। सिंचाई उपमार्ग सुरंग के समग्र कार्य का मार्च 2010 तक की प्रगति **तालिका 2.4** में दी गई है।

तालिका 2.4
सिंचाई उपमार्ग सुरंग के मार्च 2010 तक के कार्य की प्रगति

मद	इकाई	प्राकलित मात्रा	मार्च 2009 तक कुल प्रगति	रिपोर्टिंग अवधि में की गई प्रगति	मार्च 2010 तक कुल प्रगति
खुली खुदाई	लाख घन मीटर	7.38	7.346	0.00	7.346
सुरंग एवं कूपक की खुदाई		0.35	0.318	0.00	0.318
कांक्रीटिंग		1.60	1.608	0.00	1.608
दरवाजा अधिष्टापन व लाइनर	मेट्रिक टन	2220	2473	0.00	2473

सिंचाई उप मार्ग के प्रचालन एवं नियंत्रण के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षण समिति ने 18 अगस्त 2001 में संपन्न हुई अपनी 9 वीं बैठक में निर्णय लिया कि

- जलाशय जल स्तर को न्यूनतम अपकर्ष स्तर (एम.डी.डी.एल.) ई.एल 110.64 मी. के नीचे खाली नहीं किया जाएगा ।
- जलाशय से जल न्यूनतम अपकर्ष स्तर के नीचे सिचाई उपमार्ग से नहीं निकाला जा सके इसके नियंत्रण एवं सुनिश्चित करने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एक प्रक्रिया तैयार करेगी ।

सिंचाई उपमार्ग सुरंग प्रवेश द्वार

2.5.1.3 गैर संरचनागत उपाय

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 73 वीं बैंठक में निर्णय लिया गया कि सरदार सरोवर परियोजना की सिंचाई उप मार्ग सुरंग के नियंत्रण एवं परिचालन के किए गैर संरचनागत उपाय अपनाए जाँए एवं इसके लिए सरदार सरोवर जलाशय नियमन समिति का गठन किया गया । 2009-10 तक इस समिति की 18 बैंठकें हो चुकी हैं जिसमें से 5 वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित हुई।

गैर संरचनागत उपाय के अंतर्गत सिंचाई उपमार्ग सुरंग के दरवाजों का पर्यवेक्षण दूरमिति द्वारा प्रधान नियंत्रण केन्द्र (एम.सी.सी.), इंदौर से किया जाएगा। दरवाजों के उपर जलाशय मे एवं अनुप्रवाह में जल स्तर संवेदक लगाए जाएंगे एवं जल स्तर एवं प्रवाह नियमित रूपसे प्रधान नियंत्रण केन्द्र (एम.सी.सी.) में देखा जाएगा। वर्तमान में जलाशय स्तर का प्रबोधन बाँध स्थल पर स्थित दूरमिति केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है । सिंचाई उप मार्ग सुरंग पर एक अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है, जो जी.एस.एम. आधारित तकनिकी से आँकडे एम.सी.सी. इंदौर को प्रेषित करेगा। यह कार्य अभी पूरा किया जाना है।

2.5.2 विद्युत गृह कार्यो (यूनिट-III) की प्रगति

सरदार सरोवर परियोजना में कुल अधिष्टापित क्षमता 1450 मेगावाट के दो विद्युत गृह अर्थात भूमिगत नदी तल विद्युत गृह (1200 मेगावाट) तथा नहर शीर्ष विद्युत गृह (250 मेगावाट) है।

वर्ष 2009-2010 (अप्रैल 2009 से मार्च 2010) के दौरान दोनों विद्युत गृहों से कुल विद्युत उत्पादन 2501 मिलियन यूनिट किया गया ।

नहर शीर्ष विद्युत गृह तथा भूमिगत नदी तल विद्युत गृहो का संचालन एवं रख-रखाव गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

2.5.2.1 नहर शीर्ष विद्युत गृह (सी.एच.पी.एच.)

नहर शीर्ष विद्युत गृह एक सतही विद्युत गृह है जो सेडल बाँध के प्रथम संग्रह तालाब के दांयी छोर पर स्थित है जिसकी अधिष्ठापित क्षमता 250 मेगावाट (5 यूनिट प्रत्येक 50 मेगावाट की कपलान टरबाइन) है। नहर शीर्ष विद्युत गृह के सिविल एवं विद्युत कार्य जनवरी 1998 मे पूर्ण हो चुके है, लेकित बाँध की ऊँचाई 110.64 मी. पहुँचने पर ही विद्युत उत्पादन संभव हो सका। नहर शीर्ष विद्युत गृह के सभी पांच यूनिट (5x50 मेगावाट) अगस्त 2004 से दिसम्बर 2004 के दौरान सफलतापूर्वक कमीशन किये गये।

2.5.2.2 नदी तल विद्युत गृह (आर.बी.पी.एच.)

नदी तल विद्युत गृह नदी के दांई ओर बाँध से 165 मीटर अनुप्रवाह में स्थित एक भूमिगत विद्युत गृह है। भूमिगत नदी तल विद्युत गृह में 6 यूनिट, प्रत्येक 200 मेगावाट प्रतिवर्त्ती प्रकार की फ्रांसिस टरबाइन है। भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के संशोधित कार्यान्वयन

कार्यक्रम (आर.आई.एस-जून 2002) के अनुसार जिसकी स्वीकृति स.स.नि.स.स. ने 29 जुलाई 2003 को आयोजित अपनी 69 वीं बैठक में दी। इसके अनुसार विभिन्न गतिविधियों की मुख्य तिथियाँ नीचे दिये गये **तालिका 2.5** के अनुसार निश्चित की गईं।

तालिका 2.5

नदी तल विद्युत गृह की मुख्य तिथियाँ (आर.आई.एस. जून-2002)

क्रम संख्या	**गतिविधियों के नाम**	**लक्ष्य प्राप्ति की तिथि**
1	विद्युत गृह गुफा के सिविल कार्य	30.06.2005
2	टेल रेस चेनल का निर्माण	31.05.2004
3	पेनस्टॉक का गढ़न एवं उत्थापन	31.12.2004
4	एकत्रीकरण ताल में ड्राफ्ट टयूब दरवाजे की तथा बाहरी सुरंग में ट्रेस रेक की आपूर्ति एवं उत्थापन	31.12.2004
5	भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के यूनिटों की शुरूआत	
	यूनिट -I	30.09.2004
	यूनिट -II	31.01.2005
	यूनिट -III	31.05.2005
	यूनिट -IV	30.09.2005
	यूनिट -V	31.01.2006
	यूनिट -VI	31.05.2006 (छठी/ अन्तिम यूनिट)

भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के सभी छः यूनिटों का सिविल एवं विद्युत कार्य पूर्ण हो चुका है। नदी तल विद्युत गृह के सभी छः यूनिटों की कमीशनिंग क्रमशः 01.02.2005, 30.04.2005, 30.08.2005, 28.10.2005, 07.03.2006 एवं 20.06.2006 को हो चुकी है। नदी तल विद्युत गृह के सिविल कार्यो की मार्च 2010 अंत तक की प्रगति की वस्तुस्थिति **तालिका 2.6** में दी गई है।

तालिका 2.6

मार्च 2010 के अंत तक भूमिगत नदी तल विद्युत गृह के कार्यो की प्रगति

क्रम संख्या	**नदी तल विद्युत गृह के सिविल कार्य**	**इकाई**	**कुल संशोधित अनुमानित मात्रा**	**मार्च 2010 तक कुल किये गये कार्य**	**किये गये कार्य का प्रतिशत**
1	**खुली खुदाई**	**हजार घन मीटर**	1715.00	1703.36	99.32
2	**भूमिगत खुदाई**		732.06	688.07	93.99
3	**कॉंकीटिंग**		335.19	311.88	93.05
4	**शॉटकीटिंग**	**हजार वर्ग मीटर**	207.73	184.86	88.99
5	**राक बोल्टिंग**	**हजार मीटर**	168.18	142.01	84.44

नदी तल विद्युत गृह में रोशनीकरण, लिफ्ट तथा अग्निशमन तंत्र, लाउडोफोन, वातानुकूलन एवं रोशनदान पद्धति के कार्य पूरे हो चुके हैं एवं चालू कर दिये गये है । नदी तल विद्युत गृह में कम्प्यूटरराइज्ड नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

2.6 परियोजना व्यय एवं बकाया अंश लागत

सरदार सरोवर परियोजना की अनुमानित लागत योजना आयोग के पत्र संख्या : 2 (194)/88-I&CAD दिनांक : 05.10.1988 के तहत वर्ष 1986-1987 के मूल्य स्तर पर रूपये 6406.04 करोड़ स्वीकृत की गयी थी। इस प्राक्कलन में यूनिट-I (बॉंध एवं आनुषंगिक कार्य) की लागत बी-भूमि की राशि रूपये 316.7149 करोड़ सहित रूपये 1019.45 करोड़ तथा यूनिट-III (जल विद्युत कार्य) की लागत रूपये 979.95 करोड़ थी । सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ने 8 दिसम्बर 2004 को आयोजित 71 वीं बैठक में 2000-2001 मूल्य स्तर पर यूनिट-I की संशोधित अनुमानित लागत 3003.57 करोड़ रूपये (बी-भूमि (पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास) का 3033.21 करोड़ रूपये छोड़ते हुए) तथा यूनिट-III की संशोधित अनुमानित लागत 2782.07 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की थी । तकनिकी सलाहकार समति की दिनांक 11.03.2010 को आयोजित 103 वीं बैंठक में सरदार सरोवर परियोजना की वर्ष 2008-09 मूल्यस्तर पर संशोधित अनुमानित लागत रू 39240.44 करोड़ स्वीकृत की गई है। अतः सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की स्थाई समिति द्वारा 22.02.2010 को आयोजित 98 वीं बैंठक में यूनिट-I एवं यूनिट-III की संशोधित अनुमानित लागत कमशः रू. 8930.53 करोड़ एवं रू. 2910.89 करोड़ अनुमोदित की गयी ।

गुजरात सरकार द्वारा परियोजना व्यय के रूप में मार्च 2010 तक कुल रूपये 31400.50 करोड़ बुक किये गये है जिसमें मध्य विवादित खर्चे भी शामिल हैं खर्च का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है ।

तालिका 2.7

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	यूनिट/ वर्ग	माहवार खर्च विवरण के अनुसार मार्च 2009 अंत तक किये गये खर्चे	माहवार खर्च विवरण के अनुसार मार्च 2010 अंत तक किये गये खर्चे
1	यूनिट-I (बाँध एवं आनुषंगिक कार्य)	4478.82	4568.84
2	यूनिट-II (मुख्य नहर)	5181.60	5348.53
3	यूनिट-III (जल विद्युत कार्य)	2290.29	2430.64
4	यूनिट-IV (शाखएँ एवं वितरिकाएँ)	7140.76	7704.17
5	यूनिट-V (सामूहिक खर्च)	11035.81	12097.04
6	यूनिट-VI (बिना अंश योग्य खर्च)	-573.51	-748.72
	कुल खर्च...	**29553.77**	**31400.5**

सरोवर निर्माण सलाहकार समिति परियोजना के साझेदार राज्यों द्वारा बकाया देय राशि को कम करने के लिये हमेशा प्रयत्न करता रहता है तथापि मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पूरे अंश लागत का भुगतान नहीं करने की वजह से गुजरात सरकार को देय शेष अंश लागत देय राशि रूपये 354.75 करोड़ से बढ़ कर रूपये 368.81 करोड़ हो गई है।

साझेदार राज्यों द्वारा गुजरात सरकार को दी जानेवाली अविवादित अंश लागत एवं बकाया लागत की सम्रग स्थिति **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8

मार्च 2010 तक अविवादित बुक अंश लागत पर शेष बकाया राशि की स्थिती

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	कुल
अविवादित अंश लागत	2343.86	1110.25	621.41	4075.52
भुगतान की गई अंश लागत	2095.01	964.75	646.95	3706.71
बकाया अविवादित अंश लागत	**248.85**	**145.50**	**-25.54**	**368.81**
गुजरात सरकार द्वारा खर्च विवादित अंश लागत	बाजार से लिए पैसों पर व्याज, पुनर्वास-पुनर्बसाहट, राकफिल -डाइफ एवं लिंक चैनल पर खर्च			13398.93

टिप्पणी : 1. (-) ज्यादा भुगतान दर्शाता है।

2. उपरोक्त आंकड़े स.स.न.नि.लि. से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

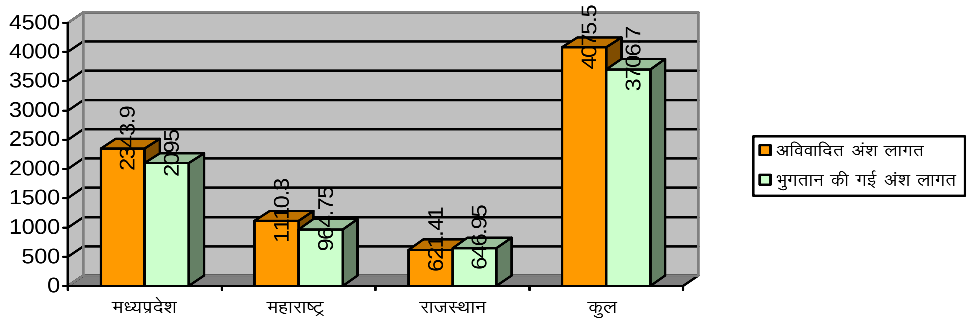

2.7 विविध गतिविधियाँ:

2.7.1 सरदार सरोवर परियोजना के कार्यो से संबंधित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपदल, बाँध सुरक्षा पैनल आदि की बैठकें

सचिव स.स.नि.स.स., सरदार सरोवर परियोजना के कार्यों से संबंधित विभिन्न बैठकों के सदस्य/आमंत्रितगण हैं। वर्ष 2009-10 में आयोजित इन समितिओं की बैठकों तथा उसमें सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के अधिकारियों द्वारा भाग लिये जाने का विवरण **परिशिष्ट –III** में दिया गया है ।

2.7.2 सरदार सरोवर परियोजना स्थल पर विशिष्ट अतिथियों का दौरा

वर्ष 2009-10 के दौरान सरदार सरोवर परियोजना स्थल पर कई विशिष्ट अतिथियों ने दौरा किया । इन दौरों का विवरण **परिशिष्ट -IV** में दिया गया है ।

श्री यू.एन.पंजियार, सचिव, जल संसाधन मंत्रालय का
दिनांक : 15.06.2009 को सरदार सरोवर परियोजना का दौरा

अध्याय- 3
सचिवालय कार्यालय

3.1 प्रभारी अधिकारीगण

श्री उमेश नारायण पंजियार, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव होने के नाते इस वर्ष सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। वड़ोदरा स्थित स.स.नि.स.स. मुख्यालय में मुख्य अभियंता के समकक्ष एवं केन्द्रीय जल अभियंत्रिकी सेवा (वर्ग "क") के एक पूर्णकालिक सचिव हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान श्री एन.जे. सिंह दिनांक 03.08.2009 (पूर्वाह्न) तत्पश्चात श्री एन.के. भंडारी समिति के नियमित सचिव रहे।

दिनांक 31 मार्च 2010 को स.स.नि.स.स. सचिवालय का संगठन चार्ट **परिशिष्ट –V** में दिया गया है।

3.2 अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी

स.स.नि.स.स. सचिवालय की स्थिति अस्थायी होने के कारण इसके अपने संवर्ग का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। वर्ग "क" के सभी पद केन्द्रीय जल अभियंत्रिकी (वर्ग "क") सेवा के अधिकारियों से भरे जाते है, बाकी सभी पद, एक चौकीदार के पद को छोड़कर, राज्य/ केन्द्र सरकार के विभागों या उनके उपक्रमों में कार्यरत लोगों द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान साझेदार राज्यों के अधिकारियों को वरीयता देते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाते हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने भी सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति को एक आशुलिपिक की सेवाएँ ऋण के आधार पर उपलब्ध करायी है। बाकी आवश्यकतायें बाहरी स्त्रोत/ आकस्मिक व्यय से पूरे किये जाते हैं ।

3.3 रिक्त पदों की स्थिति

सचिव, स.स.नि.स.स. के कार्यालय का प्रबन्धन करने के लिए नवम्बर 1984 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कुल 38 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । तत्पश्चात कुल पदों की संख्या को समान रखते हुए, एक उप सचिव एवं एक आशुलिपिक ग्रेड "घ" के पदों के सृजन की स्वीकृति, सहायक सचिव एवं सहायक अभियंता के एक-एक पद समाप्त करने के बदले दी गई थी। बाद में चार पदों (एस.ए.एस. लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक एवं निम्न श्रेणी लिपिक प्रत्येक एक पद) का समर्पण भारत सरकार द्वारा लागू की गई 10 प्रतिशत वैधानिक कटौती के तहत किया गया तथा कुल पदों

कि संख्या घटकर 34 रह गई । इस वर्ष दौरान 34 स्वीकृति पदों में से 16 पद संचालित हुए। श्री जनार्दन बाबू आर. के सेवा निवृत होने के कारण उप सचिव का पद मार्च 2010 में रिक्त हो गया था, एवं निम्न श्रेणी लिपिक के तीन पद कमशः जुलाई, सितंबर अक्तूबर 2009 में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर रिक्त हो गए थे । इन पदों भरने हेतु कार्यवाही की गई । स्वीकृत एवं भरे हुए इन पदों की 31.03.2010 की स्थिति का विवरण **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1
31 मार्च 2009 को पदों का विवरण

श्रेणी पदों का पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद			रिक्त पदों की संख्या
		प्रारम्भिक स्वीकृत पद	वर्ष 2009-10में स्वीकृत पद	वर्ष 2009-10 मे भरे हुए पद	
वर्ग –क					
i) सचिव	पे -4 37400-67000+ग्रेपे 10000	1	1	1	-
ii) उपसचिव	पे -4 37400-67000+ग्रेपे 8700	1	1	0	1
iii) सहायक सचिव	पे -3 15600-39100+ग्रेपे 7600/ 6600	3	3	3	-
	कुल योग	**5**	**5**	**4**	**1**
वर्ग – ख					
i) सहायक अभियंता	पे -2 9300-34800+ग्रेपे 4600	3	1	0	1
ii) आशुलिपिक ग्रेड-I	--	1	-	-	-
	कुल योग	**4**	**1**	**0**	**1**
वर्ग – ग					
i) प्रारूपकार ग्रेड- II	पे -1 5200-20200 +ग्रेपे 2400	1	-	-	-
ii) उच्च श्रेणी लिपिक	पे -1 5200-20200 +ग्रेपे 2400	7	1	1	-
iii) आशुलिपिक ग्रेड डी	--	3	-	-	-
iv) निम्न श्रेणी लिपिक	पे -1 5200-20200 +ग्रेपे 1900	5	5	2	3
	कुल योग	**16**	**6**	**3**	**3**
वर्ग – घ					
i) दफ्तरी	--	1	-	-	-
ii) चपरासी	पे -15200-20200 +ग्रेपे 1800	6	3	3	-
iii) सफाईवाला	--	1	-	-	-
iv) चौकीदार	पे -15200-20200 +ग्रेपे 1800	1	1	1	-
	योग	**9**	**4**	**4**	**-**
	कुल योग	**34**	**16**	**11**	**05**

नोट : 1) स.स.नि.स.स. में एक आशुलिपिक ग्रेड "डी" नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से ऋण के आधार पर कार्यरत है ।
2) इस कार्यालय में टंकण कार्य (हिन्दी) व सफाई कार्य संविदा पर कराये जाते है।

3.4 बजट एवं व्यय

नर्मदा जल विवाद अधिकरण फैसला के खंड XIV के उपखंड 16(10) के प्रावधान के अनुसार सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के सचिवालय द्वारा किये जाने वाले व्यय को सभी चार साझेदार राज्यों यथा –गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। प्रारंभ में यह व्यय जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय बजट में गैर योजना व्यय के रूप में दर्शाया जाता है और बाद में इसकी प्रतिपूर्ति साझेदार राज्यों द्वारा की जाती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए स.स.नि.स.स. सचिवालय को कुल 90.35 लाख रूपये का अंतिम बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2009-2010 में मार्च 2010 अंत तक इस सचिवालय द्वारा कुल वास्तविक खर्च कुल रू. 90.19 लाख किये गये।

साझेदार राज्यों द्वारा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को भुगतान किये जाने वाले स.स.नि.स.स. के अंश लागत का शेष बकाया रू. 34.22 लाख है।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, सचिवालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 में मार्च 2010 के अंत तक किये गये खर्च के अंश लागत की साझेदार राज्यों द्वारा किये गये भुगतान की स्थिति **तालिका 3.2** मे दर्शायी गई है।

तालिका 3.2
स.स.नि.स.स. सचिवालय के मार्च 2010 अंत तक साझेदार राज्यों द्वारा अंश लागत के भुगतान की स्थिति

(राशि रुपयों में)

कम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2009-10 में प्रत्येक राज्य की बकाया अंश लागत	वर्ष 2009-10 में चुकाई गई अंश राशि	मार्च 2010 तक शेष वकाया राशि
1	गुजरात	2457924	2452340	5584
2	मध्यप्रदेश	4053336	667000	3386336
3	महाराष्ट्र	2457924	2452340	5584
4	राजस्थान	3732900	3708590	24310
	योग	**12702084**	**9280270**	**3421814**

3.5 हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

भारत सरकार के राजभाषा नीति के अनुसार सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, सचिवालय द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 एवं उनके अंतर्गत निहित नियमों के विभिन्न प्रावधानो को कियान्वित करने के प्रयास किये गये। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर सिर्फ

हिन्दी में भेजे गये। इस कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यथासंमव कार्यालय के कार्यो को हिंदी मे करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं था उन्हे हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिलवाया गया । वर्ष 2009-10 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें एवं राजभाषा पर चार कार्यशालायें आयोजित की गयी। 14 सितंबर से 29 सितंबर 2010 तक कार्यालय परिसर में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। गत वर्ष की तुलना मे इस वर्ष कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के उपयोग में वृद्धि हुई ।

3.6 प्रशिक्षण गतिविधियाँ

वर्ष 2009-2010 के दौरान स.स.नि.स.स. के अधिकारियो ने अनेक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं अल्पावाधि पाठ्यक्रमों इत्यादि मे भाग लिया। सहभागिता का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका- 3.3

कम सं.	अधिकारी का नाम पदनाम	कार्यकम	स्थान	तिथियाँ
1	श्री एन. के. भंडारी, सचिव	राष्ट्रीय हिन्दी तकनिकी संगोष्ठी	हैदराबाद	27.10.2009
2	श्री एन. के. भंडारी, सचिव श्री जितेन्द पँवार, सहायक सचिव	मौसम परिवतेन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	रूड़की	18-19.11.2009
3	श्री एन. के. भंडारी, सचिव	सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपील के निवारण पर कार्यशाला	नई दिल्ली	21.11.2009
4	श्री जितेन्द पँवार, सहायक सचिव	राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबंधन पर राष्ट्रीय सेमीनार	नई दिल्ली	12.12.2009

श्री एन.के. भंडारी, सचिव द्वारा 22.10.2009 को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय हिन्दी तकनिकी संगोष्ठी मे व्याख्यान दिया गया । इसके अतिरिक्त श्री एन.के. भंडारी, सचिव द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने, पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनर्वसाहट आदि विभिन्न विषयों पर सी.बी.आई.पी. एवं राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में व्याख्यान दिये गये।

3.7 सर्तकता एवं अनुशासनिक मामले

श्री जर्नादन बाबू. आर., उप सचिव दिनांक : 15.05.2006 से 16.05.2009 एवं 14.09.2009 से 28.02.2010 के दौरान सर्तकता अधिकारी के रूप में कार्य किया गया। सभी अधिकारियों ने अपने वार्षिक संपत्ती विवरण को निर्धारित समय पर जमा किया । इस वर्ष के दौरान स.स.नि.स.स. के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी से संबधित कोई सर्तकता और/अथवा अनुशासनिक प्रकरण प्राप्त अथवा लम्बित नहीं हैं । स.स.नि.स.स. कार्यालय में 3 से 7 नवम्बर 2009 तक सतर्कता सप्ताह मनाया गया। आम जगहों पर बैनर एवं पोस्टर लगाये गये और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई।

3.8 लोक शिकायत एवं कर्मचारी शिकायत मामले

श्री जर्नादन बाबू आर., उप सचिव को सरदार सरोवर निर्माण सलाकार समिति का निदेशक (लोक शिकायत एवं कर्मचारी शिकायत) नामांकित किया गया। वर्ष के दौरान इस कार्यालय को कोई भी लोक शिकायत का मामला प्राप्त नहीं हुआ।

3.9 अनुसूचित जाति/ जन जाति कर्मचारियों का कल्याण

अनुसूचित जाति/ जन जाति के कल्याण के लिए श्री जर्नादन बाबू आर., उप सचिव को वर्ष के दौरान स.स.नि.स.स. का सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।

3.10 कौमी एकता सप्ताह

स.स.नि.स.स. सचिवालय द्वारा 19 से 25 नवम्बर 2008 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया गया । इस सप्ताह में स.स.नि.स.स. के सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय अखण्डता की शपथ दिलायी गयी। कार्यालय परिसर में कौमी एकता के संदेश को प्रदर्शित करते हुए द्विभाषी पोस्टरों का भी प्रदर्शन किया गया।

3.11 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

स.स.नि.स.स. सचिवालय एक अस्थायी एवं छोटा सचिवालयीन संगठन है जो इसे सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के पर्यवेक्षण कार्य के लिए बनाया गया है । वर्ग "क" के सभी पद केन्द्रीय जल अभियंत्रिकी सेवा (वर्ग "क") में संवर्गित हैं एवं ये पद जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों से स्थानांतरण के आधार पर भरे जाते हैं तथा एवं वर्ग "ख","ग", एवं "घ" के पद राज्य/केन्द्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों से

प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाते हैं । आवेदकों को प्रतिनियुक्ति पर चयनित करते समय अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। स.स.नि.स.स. के 16 पदों में से एक पद पर शारिरिक रूपसे विकलांग श्रेणी का एक निम्न श्रेणी लिपिक कार्यरत है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिये कोई अलग से बजट प्रावधान नहीं किया जाता है।

3.12 कम्प्यूटरीकरण

इस सचिवालय में सभी अधिकारियों के डेस्क पर कम्प्यूटर की व्यवस्था है । अधिकतर कार्यालय कार्य को कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। कार्यालय की अपना द्विभाषी वेब साइट “www.sscac.gov.in” है।

3.13 सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय की सूचना अधिकारिक वेब साइट “www.sscac.gov.in” पर उपलब्ध करा दी गई है । श्री जर्नादन बाबु आर., उप सचिव को स.स.नि.स.स. का जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है। श्री एन.के.भंडारी, सचिव ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपील के निवारण संबन्धी कार्यशाला में भाग लिया । इस वर्ष सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

3.14 नागरिक चार्टर

इस कार्यालय का नागरिक चार्टर अधिकारिक वेब साइट “www.sscac.gov.in” पर उपलब्ध करा दिया गया है।

3.15 लंबित लेखा परीक्षा पैरे

महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजकोट, गुजरात द्वारा जारी आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट अवधी 01.06.2002 से 31.01.2005 में लंबित लेखा परीक्षा पैरों का विवरण निम्नांकित **तालिका 3.4** में दिया गया है ।

तालिका 3.4

निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण

लेखा की अवधि	लेखा का वर्ष	पैरा की संख्याँ	पैरा का विवरण
जून 2000 से जनवरी 2005	2004-2005	02	1) स.स.नि.स.स. सचिवालय के रूपये 54,88,686/- का अंशदान 2) सरदार सरोवर परियोजना के अविवादित अंश लागत की गैरवसूली/ समायोजन रूपये 271.51 करोड़

महालेखाकार (सिविल लेखा), राजकोट, गुजरात कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 15.05.2007 के तहत सूचित किया कि उपर्युक्त लंबित पैरा उनके द्वारा अब नहीं जारी रखा जाएगा एवं इस पर विभागीय स्तर पर निगरानी रखी जाए ।

ANNEX- I (A)

ORIGINAL CONSTITUTION OF SSCAC

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-I, SECTION-I, NO.39.DATED 27TH SEPT, 1980)

No.22/7/80-P-I,
Government of India,
Ministry of Irrigation

New Delhi, the 4th September, 1980.

R E S O L U T I O N

The Water dispute regarding the inter-State river Narmada and the river valley thereof, between the State of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan was referred for adjudication to the Narmada Water Disputes Tribunal constituted by the Government of India in October, 1969 under the Inter-State Water Dispute Act, 1956. The Tribunal submitted its further and final report to the Government of India in December 1979. As required under Section 6 of the Act, the Government of India published the decision of the Tribunal in the official Gazette on 12th December 1979, whereupon the decision became final and binding on the parties to the dispute. In its final order, the Tribunal has, interalia, directed setting up of an Inter-State Administrative Authority to be called Narmada Control Authority for the purpose of securing compliance with and implementation of decisions and directions of the Tribunal. The Tribunal has further directed the setting up of a Review Committee, which on the application of any Party State may review any decision of the Authority. While observing that the four party States have financial Commitments in respect of Unit-I Dam and Appurtenant works of the Sardar Sarovar Project and three of them, namely, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh have such commitment in respect of Unit-III (Power Complex of the Sardar Sarovar Project), the Tribunal has in addition considered it desirable and necessary that a Construction Advisory Committee should be constituted for ensuring efficient, economical and early execution of Unit I and III of the Project.

In pursuance of the above decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee is hereby constituted, as under:

The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee will consist of the following:-

i)	The Secretary to the Government of India, in charge of Irrigation	-Chairman
ii)	Chairman, Central Water Commission (CWC) or a Member of the CWC representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.	-Member
iii)	Chairman, Central Electricity Authority (CEA) or a Member of the CEA representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.	-Member
iv)	Chairman, Narmada Control Authority (NCA) or its Independent Member representing Chairman in case the Chairman is unable to attend a meeting.	-Member
v)	Joint Secretary (Financial Adviser) in the Ministry of Irrigation.	-Member
vi)	Secretaries in charge of Finance Department of Government of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan.	-Members
vii)	Secretaries in charge of Irrigation Department of Government of Gujarat and Rajasthan.	-Members
viii)	Secretaries in charge of Power Department of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.	-Members
ix)	Secretaries in charge of Revenue Department or any other Department, concerned with land acquisition of Madhya Pradesh, Maharashtra & Gujarat.	-Members
x)	General Manager or Chief Engineers of Gujarat in charge of the project and Chief Engineers of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan concerned with the project.	-Members
xi)	Chairman, State Electricity Board of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.	-Members
xii)	Financial Adviser, Sardar Sarovar Project.	-Member
xiii)	Secretary (to be appointed by the Government of India)	-Secretary

The Chairman may invite any other person to attend any meeting of the Advisory Committee, should it be considered necessary for the proper discharge by the Committee of its functions.

3. The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee shall :
   i) scrutinise the project estimates prepared for works mentioned in paragraph 1 above, advice necessary modifications and recommend the estimates for the administrative approval of the concerned Governments.
   ii) examine and make recommendation on all proposals pertaining to technical features and designs as may be referred to it by any of the party States and where necessary consult experts for the purpose ;
   iii) examine and make recommendation on the programme of construction of different parts of the project in a co-ordinated manner, keeping in view the funds available, the economics of the project and the desirability of obtaining quick results;
   iv) examine the requirement of funds for the construction of works and other purposes according to the approved programme and make necessary recommendations;
   v) examine and recommend, from time to time, the delegation of such powers, both technical and financial, as it may deem necessary for the efficient execution of the project, to the officers engaged in the execution of the works on the project;
   vi) examine and, where necessary, recommend specifications for various classes of work;
   vii) examine and make recommendation on all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the General Manager/Chief Engineers;
   viii) review progress reports, both for works and expenditure from the General Manager/Chief Engineers and recommend, where necessary, steps to be taken to expedite the work.
4. The recommendations of the Construction Advisory Committee shall be conveyed to the Governments concerned by the Committee and copies sent to the Review Committee and Narmada Control Authority for information.
5. The recommendations of the Construction Advisory Committee shall normally be accepted by the State Governments concerned. In the event of any disagreement, the matter shall be referred to the Review Committee and the decision of the Review Committee shall be final and binding on all the concerned States.

In all matters relating to the construction of the Sardar Sarovar and appurtenant works (Unit-I), Power House and generating machinery (Unit-III) and Transmission lines to feed power to Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat upto the next sub-station in each case, the Narmada Control Authority will carry out only such functions as do not specifically devolve upon the Construction Advisory Committee.

6. The Construction Advisory Committee will be subject to dissolution after three years of the completion of construction of Unit-I and Unit-III of the Sardar Sarovar Project. The post construction management of Unit-I and Unit-III will be by Gujarat under the supervision of the Narmada Control Authority.

7. The headquarters of the Construction Advisory Committee shall be at Gandhinagar in Gujarat.

8. The Construction Advisory Committee will frame rules regarding procedure and delegation of power for the purpose of carrying out its business.

9. The expenditure of the Construction Advisory Committee will be borne by the four Party States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan equally.

Sd/-
(C.C. PATEL)
Secretary to the Government of India.

O R D E R

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments, Ministries/ Departments of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Office, President's Secretariat and Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for general information.

Sd/-
(C.C. PATEL)
Secretary to the Government of India.

ANNEX-I (B)

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART I, SECTION-I)

No.22/22/80-P-I,
Government of India,
Ministry of Irrigation

New Delhi, the 27th December, 1980.

R E S O L U T I O N

In suppression of para 7 of this Ministry's Resolution No.22/7/80-P.I dated the 4th September, 1980, the head-quarters of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee shall be at Baroda in Gujarat instead of Gandhinagar in Gujarat.

Sd/-
(C.C. Patel)
Secretary

O R D E R

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments, Ministries/Departments of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Office, President's Secretariat and Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for general information.

Sd/-
(C.C. Patel)
Secretary

ANNEX-I (C)

FIRST AMENDMENT

TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION-I OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India,

Ministry of Water Resources

New Delhi, the 17th April, 1986.

RESOLUTION

No.22/7/80/P.I. In pursuance of the decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee was constituted vide erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No.22/7/80-P.I. dated the 4th September, 1980. Para.2 of the Resolution giving composition of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee is amended as under:

a) For existing entries (i) & (v) the following shall be substituted :

i) The Secretary to the Government of India Incharge of the Water Resources. — Chairman

v) The Financial Adviser in the Ministry of Water Resources. — Member

b) For the existing concluding portion, the following shall be substituted :

"The Chairman may co-opt any other Members".

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments, Ministries/Departments of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Office, President's Secretariat and Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for General information.

Sd/-
(B.Sen)
Joint Secretary to the Government of India.

ANNEX-I (D)

SECOND AMENDMENT

No.23/7/80-P.I
Government of India,
Ministry of Water Resources

Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg,
New Delhi, the 17th April, 1986.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: - Sardar Sarovar Construction Advisory Committee:
Co-opting Member for the Meetings of...

*****

In pursuance of the decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee was set up by the Government of India as per erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No.22/7/80-P.I, dated 4th September, 1980 (copy enclosed). The composition has been further amended as per resolution No.22/7/80-P.I., dated 17th April, 1986, while inter-alia provides that the Chairman of the Committee may co-opt any other Member. Accordingly Secretary, Ministry of Water Resources who is the Chairman of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee hereby co-opts the Secretary to the Government of India, Department of Power or his nominee as Member of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee.

Encl: As above.
Sd/-

(B.Sen)
Joint Secretary to the Government of India.

The Ministry of Energy,
(Deptt. of Power),
Shram Shakti Bhavan, New Delhi.

Copy forwarded to:

1) Chairman and Members (including Secretary, Deptt. of Power), of SSCAC.
2) The Secretary, Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, 4th floor, Narmada Bhavan, Indira Avenue, Vadodara (Gujarat).

Sd/-
(B.Sen)
Joint Secretary to the Government of India.

ANNEX-I (E)

THIRD AMENDMENT
TO BE PUBLISHED IN PART-I SEC.I OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India
Ministry of Water Resources
New Delhi, the 27th August, 1987.

RESOLUTION

No.22/7/80-P.I. In pursuance of the decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee was constituted vide erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No.22/7/80-P.I, dated the 4th September, 1980 and amended further vide resolution of even number of 17th April, 1986. Para 2 of the Resolution giving composition of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, is further amended as under:

For existing entries at Sl. No. (iv) and (vi) to (xi), the following shall be substituted

iv) Executive Member, Narmada Control Authority (NCA) or its independent Member representing Executive Member in case the Executive Member is unable to attend the meeting. -Member

vi) Secretaries in charge of Finance Department of Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan or their nominees. -Members

vii) Secretaries in charge of Irrigation Department of Governments of Gujarat and Rajasthan or their nominees. -Members

viii) Secretaries in charge of Power Department of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat or their nominees. -Members

ix) Secretaries in charge of Revenue Department or any other Department concerned with land acquisition, of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat or their nominees. -Members

x) General Managers or Chief Engineers of Gujarat in charge of the project and Chief Engineers of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan concerned with the project or their nominees. -Members

xi) Chairman, State Electricity Board of Madhya Pradesh,

Maharashtra and Gujarat or his nominees. -Members

O R D E R

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments, Ministries/Departments of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Office, President's Secretariat and Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for General information.

Sd/-
(RAMESH CHANDRA)
COMMISSIONER (PROJECTS)

ANNEX-II

Government of India
Ministry of Irrigation

SARDAR SAROVAR CONSTRUCTION ADVISORY COMMITTEE

CONDUCT OF BUSINESS AND PROCEDURE RULES, 1981

(As approved by the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee in its third meeting and subsequently amended during its 11th meeting, 14th meeting and 67th meeting)

In exercise of the powers conferred on it by paragraph 8 of Government of India, Irrigation Department, Resolution No.22/7/80-P-I., dated 4th September 1980, the following rules are framed for the conduct of the business and procedure of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee.

1. **Short Title** :

   These rules may be called the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee (Conduct of Business and Procedure) Rules, 1981.

2. **Definitions:**

   In these rules, unless there is anything repugnant in the context

   i) "Committee" means the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee.

   ii) "Chairman" means the Chairman of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee.

   iii) "Member" means the member of the Committee duly appointed in accordance with para (2) a Ministry of Irrigation Resolution dated 04.09.1980 cited above.

   iv) "Secretary" means the Secretary of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, appointed by Government of India.

   v) "Financial Adviser" means the Financial Adviser of the Sardar Sarovar Project.

   vi) "Chief Engineer" means a Chief Engineer associated with the works of the Sardar Sarovar Project (Unit-I & III) appointed by State Government or Electricity Board of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra.

   vii) "Project" means Sardar Sarovar Project (Unit-I & III).

viii) Narmada Control Authority and the Review Committee mean the Narmada Control Authority and the Review Committee appointed by the Government of India in terms of the Narmada Water Disputes Tribunal Award.

3. **Frequency of meetings:**

i) The meetings of the Committee shall normally be held once in three months.

ii) The Chairman may, however, at his discretion, call a meeting at any time to transact urgent business

4. **Quorum:**

Any ten Members of the Committee shall form a quorum for a meeting. In case, however, any of the party States so desires, a particular item concerning two or more States will only be discussed in a meeting where at least one Member each from all the States and a representative of the Central Government is present – provided that if the particular item cannot be disposed of at two successive meetings owning to the absence of one or more Members from the Party States, then it shall be disposed of in the normal course.

5. **Notice of meetings, agenda, etc:**

i) The meetings shall be fixed and the agenda thereof shall be finalized by the Secretary under the orders of the Chairman.

ii) a) A notice of a meeting mentioning the agenda items, time and venue of the meeting and the agenda notes shall be issued in writing 15 days in advance of the meeting to all the members as well as to any other person whom the Chairman may direct to be invited for the meeting. However, for meeting convened to transact urgent business under clause 3 (ii) of these Rules, the notice period for the meeting shall be at the discretion of the Chairman SSCAC.

b) Not-withstanding that any members have not received the agenda notes the meeting may proceed to transact the business on the agenda.

c) Any urgent item, not included in the agenda circulated to the members may also be taken up for consideration in a meeting of the committee with the permission of the Chairman.

d) The review of the progress of the works of Unit-I & III of Sardar Sarovar Project shall form an item of the agenda of every ordinary meeting of the committee.

e) All audit notes having a bearing on the decisions taken in the Committee about the Sardar Sarovar Project Units-I & III as well as those pertaining to the working of the Committee's office shall after their receipt be placed before the next meeting of the Committee.

iii) All references requiring consideration of the Committee will be addressed to the Secretary. Such reference will be in the form of self-contained notes.

iv) The Secretary, after due examination of the proposals in consultation with the Financial Adviser when financial issues are involved, will, prepare a note for the consideration of the Committee. The note will indicate the technical, financial and administrative implications of the proposals and bring out the point or points on which the Committee's specific decision or recommendation is sought. The Secretary's note will also include a copy of the self contained note received as under item (iii) above.

v) Views of the Financial Adviser shall be circulated along with the Agenda note, wherever financial implications are involved.

6. **President of meeting:**

The Chairman of the Committee, when present, will preside over all the meetings of the Committee. In his absence Chairman, Central Water Commission failing which the Chairman, Central Electricity Authority, failing which the Chairman, Narmada Control Authority, shall preside over a meeting of the Committee.

7. **Business to be transacted at a meeting:**

i) Except with the express permission of the presiding authority, no business, which is not entered in the Agenda, shall be transacted at any meeting.

ii) Any member who desires at any meeting to bring forward any business supplementary to the Agenda circulated in the notice for such meeting shall give a written notice of the same to the Secretary at least seven clear days before the date fixed for the meeting and the Secretary shall seek the orders of the Chairman for distributing copies thereof to the other members at the time of the meeting.

iii) Notwithstanding anything contained in the Rules 5 & 7 above, any matter on which the decision of the Committee is urgently required and which has not been included in the Agenda of the meeting or circulated in the meeting as a supplementary agenda item may, with the approval of the Chairman, be placed before the meeting for its consideration and decision.

iv) Order of Business: Except with the permission of the presiding authority no business shall be transacted at any meeting otherwise than in the Order in which it is entered in the agenda/supplementary agenda for that meeting.

8. **Decision of the Committee:**

All issues at a meeting shall be decided by consensus as far as possible and failing that by a majority of the Members present through voting each member having one vote. In the case of equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.

9. **Minutes**:

The decisions or recommendations of the Committee shall be incorporated in the draft minutes of the proceedings of the Committee to be drawn up by the Secretary and got approved from the Chairman. Copies of the draft minutes shall be sent to the members of the Committee inviting their comments thereon. The members may send their comments thereon. The members may send their comments on the draft minutes within 21 days along with the specific suggestions for the modifications in the draft minutes. With the permission of the Chairman these suggestions will be circulated with the

agenda for the next meeting of the Committee in which the draft minutes are to be taken up for confirmation.

10. **Association of persons with Committee:**

i) The Committee may associate with itself any person possessing special knowledge or experience for advising it or attending to any work on its behalf for the purpose of efficient performance of any of its functions.

ii) Any persons so associated, who is required to attend a meeting of the Committee may be paid special fees and allowances as may be fixed by the Committee in each case. In order to save time, it is suggested that a schedule of fees and allowance may be drawn up by a sub-group of the Committee. The actual application of the schedule would be left to the Committee in each case.

iii) The person so associated or advising the Committee may take part in the discussions of the Committee relevant to the purpose for which he is associated or consulted, but he shall not have the right to vote at a meeting or take part in the discussions relating to other purposes.

11. **Changes in incumbencies:**

In the event of a change in the incumbency of any post included in the membership list of this Committee, the concerned State or Central Government will intimate the change to the Secretary of the Committee as early as possible and in any case before the new incumbent participates in the next meeting of the Committee.

12. **Constitution of Sub-Group:**

The Committee may, at its discretion, set up one or more Sub-Groups (Comprising Members of the Committee) for dealing with specific issues and delegate to the Sub-Groups such functions and power as it may deem fit. For the purpose of operation of this clause, Member of the CWC who is an alternative member of the SSCAC vice Chairman, CWC and Member of the CEA who is an alternative Member of SSCAC vice Chairman, CEA shall be treated as Members of the Committees defined under clause 2 (iii) of these Rules. The Secretary of the Committee would also be the Secretary of each Sub-group.

The Sub-group may associate with itself any person possessing special knowledge or experience for assisting or advising the Sub-group or attending to any work on its behalf for the purpose of efficient performance of any of the functions assigned to the Sub-group. Any person so associated may be paid special fees and allowances as may be fixed by the Sub-group in accordance with the powers delegated to it.

Each Sub-group may meet at such places and at such times as may be determined by the Chairman of the respective Sub-groups.

The recommendations of the Sub-group would be placed before the Committee for ratification/decision at its next meeting.

13. **Action on the Committee's decisions:**

The recommendations of the Committee shall be communicated to the State and Central Governments and the Narmada Control Authority for appropriate action.

14. **Procedure in case of disagreement:**

Any disagreement with the decision of the Committee shall be communicated in writing by the disagreeing member or members within 7 days of the meeting in which the minutes of the concerned previous meeting are confirmed elucidating the grounds for not accepting the decision of the Committee. If the Committee after going through the aforesaid elucidation does not revise the decision in its next meeting and the disagreement still persists, the member State shall then take up the matter with the Review Committee as provided in para 5 of Government of India's Resolution No. 22/7/80-P.I, dated 4th September 1980, constituting the committee.

15. **Emergency Procedure:**

i) If, for any reason, it is not practicable to convene an ordinary meeting of the Committee as per rule 3 foregoing, and a decision on the proposal is required urgently, a Member may make a reference to the Chairman of the Committee bringing out the urgency.

ii) On receipt of such a reference, the Secretary will prepare a note and, together with the comments of the Financial Adviser, will submit the same to the Chairman for orders.

iii) All orders passed by the Chairman under the procedure mentioned in sub-rule (ii) above will be placed before the next meeting of the Committee for confirmation.

16. **<u>General Procedure</u>:**

i) The Financial Adviser shall prepare and submit for the consideration of the Committee an annual financial review of the project for which the Chief Engineers of the Project shall supply all relevant information.

ii) Copies of all sanctions, tenders, and financial decisions pertaining to the work of Unit-I & III of Sardar Sarovar Project taken by the State Governments shall be supplied to the office of the Committee for purpose of record and follow-up action, if any. The Financial Adviser shall, on behalf of the Committee, scrutinize all such sanctions and financial transactions and bring to the notice of the Committee any specific points as he may deem fit by initiating a self-contained agenda note. The Financial Adviser will be entitled to call for such information from the concerned State Governments or officers under the State Government on matters that are to come up before the Committee.

iii) The Committee shall consider and recommend from time to time, to the State Governments reimbursements to be made by one State for the expenditure incurred by the other State on work components, the cost of which is to be shared by the party States in accordance with the Decision of the Narmada Water Dispute Tribunal.

17. **<u>General Correspondence and office procedure</u>:**

i) All routine correspondence on behalf of the Committee will be carried out by the Secretary.

ii) The Secretary of the Committee will be the administrative Head of the Establishment of the Committee and shall be Chief Executive Officer of the Committee.

iii) The Office of the Committee shall follow all financial and fundamental procedures, Contingent Expenditure Rules, etc. prescribed by the Government of India from time to time, till such time separate rules are framed by the Committee.

ANNEX – III

DETAILS OF MEETINGS OTHER THAN SSCAC/PSC ATTENDED BY SSCAC OFFICIALS (FROM APRIL 2009 TO MARCH 2010)

Sr.No	Meeting	Date (Place)	Attended by
1	**Narmada Control Authority**		
	82st Meeting	28/01/2010 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary
2	**R & R Sub-Group**		
	74th Meeting	16/11/2009 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary Shri Janardhana Babu R., Dy. Secretary
3	**Narmada Main Canal Sub-Committee**		
	25th Meeting	29/07/2009 (New Delhi)	Shri N.J.Singh, Secretary
	26th Meeting	04/02/2010 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary Shri Rajesh Kumar, Asstt. Secretary
4	**Environment Sub-Group**		
	47th Meeting	26/03/2010 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary
5	**Power Sub-Committee**		
	44th Meeting	09/03/2010 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary
6	**Sardar Sarovar Reservoir Regulation Committee, NCA**		
	14th Meeting	15/04/2009 (New Delhi)	Shri N.J.Singh, Secretary Shri Rajesh Kumar, Asstt. Secretary
	15th Meeting	11/07/2009 (New Delhi)	Shri N.J.Singh, Secretary Shri Rajesh Kumar, Asstt. Secretary
	16th Meeting	07/09/2009 (Bhopal)	Shri N.K.Bhandari, Secretary
	17th Meeting	12/10/2009 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary
	18th Meeting	17/11/2009 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary

Sr.No	Meeting	Date (Place)	Attended by
7	**Hydromet Sub Group**		
	11th Meeting	15/04/2009 (New Delhi)	Shri N.J.Singh, Secretary
	12th Meeting	26/02/2010 (New Delhi)	Shri N.K.Bhandari, Secretary

ANNEX – IV

VISIT OF VIP'S TO THE SARDAR SAROVAR PROJECT IN THE YEAR 2009-10

Sr. No.	Name of V.V.I.P./VIP/	Designation	Period
1	Shri U.N. Panjiar	Secretary, MoWR, New Delhi	15.06.2009
2	Shri A.K. Bajaj	Chairman, C.W.C. New Delhi	15.06.2009
3	Shri Pradeep Bhargav	Vice Chairman, N.V.D.A. & N.C.A. Team	15.06.2009
4	Hon'ble Shri S.C. Jamir	Governor of Gujarat	14.08.2009
5	Hon'ble Shri K.S. Radhakrishnan	Chief Justice, Gujarat High Court	26.09.2009
6	Shri Mohansinh Rathwa	Chairman, Public Account Committee and other Members	04.11.2009
7	MLA's of Tamilnadu	Public Account Committee, Tamilnadu	13.11.2009
8	Shri Jakko Sayrala	Water Resources Management, Finland	13.12.2009
9	Shri O.P. Rawat	Chairman, NVDA	21.12.2009 to 22.12.2009
10	Shri Nimbalkar	Irrigation Minister, Govt. of Maharashtra	28.02.2010
11	Shri Amrish bhai Patel	M.L.A. Maharashtra	28.02.2010
12	Hon'ble Shri N.K.Modi	High Court, Indore (MP)	05.03.2010

ANNEX – V

ORGANISATION CHART OF SSCAC SECRETARIAT
(AS ON 31ST MARCH 2010)

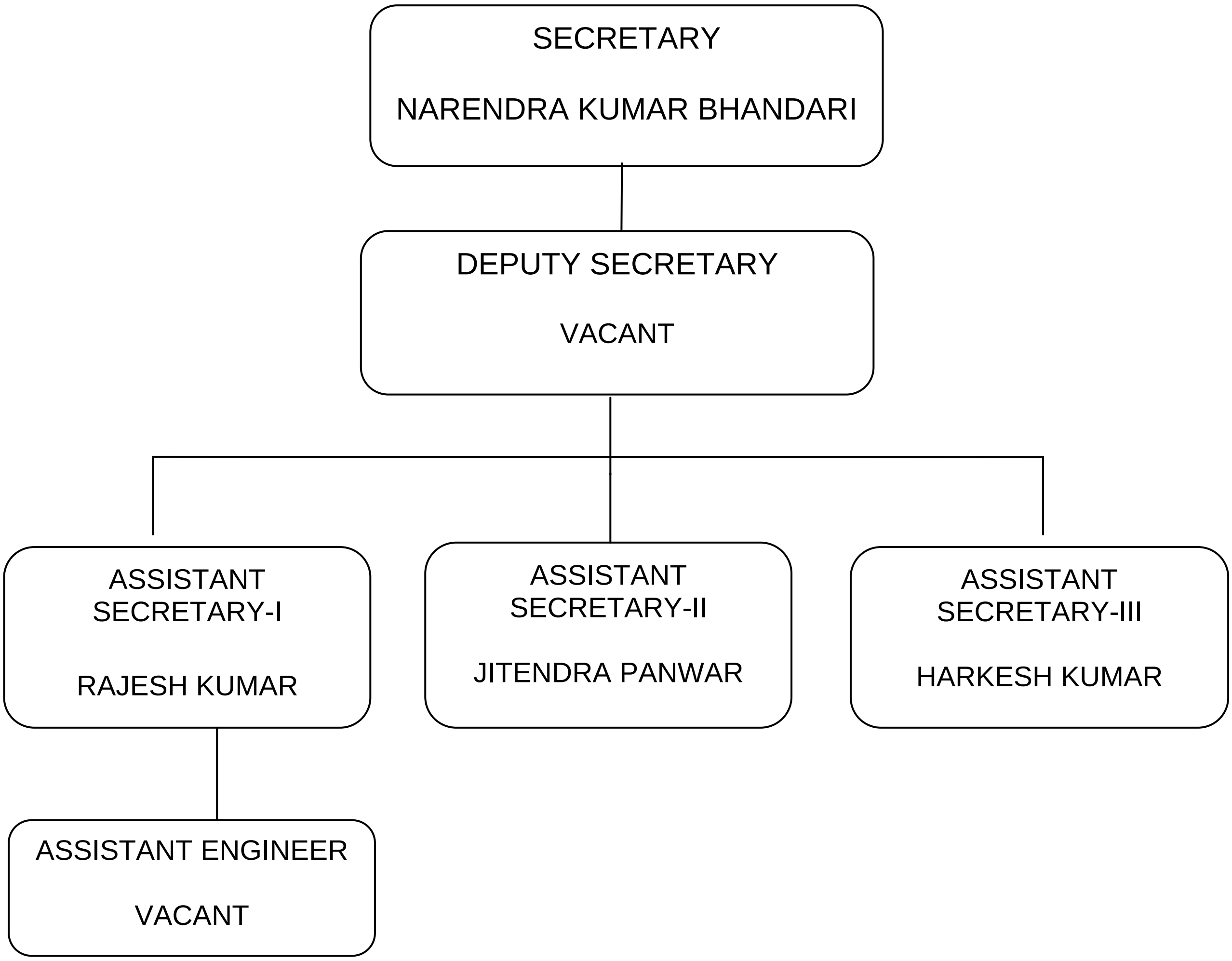

ANNEX – VI

SALIENT FEATURES OF SARDAR SAROVAR PROJECT

I. LOCATION

State	:	Gujarat
District	:	Narmada
Taluka	:	Rajpipla (Nandod)
River	:	Narmada

II. HYDROLOGY

Water shed area of the river above dam site	:	88000 sq. km. (33970 sq.mile)
Mean annual rainfall	:	1120mm (44.10 inch.)
Annual run-off at dam site		
at 50% dependability	:	4.10 Mha m (33.20 MAF)
at 75% dependability	:	3.36 Mha m (27.22 MAF)
at 90% dependability	:	2.44 Mha m (19.77 MAF)
Designed flood (1 in 1000 years)	:	87000 cumecs (30.7 lakh cusecs)

III. RESERVOIR

Full Reservoir Level (FRL)	:	138.68m (455 ft)
Maximum Water Level (MWL)	:	140.21m (460 ft)
Minimum Draw Down Level (MDDL)	:	110.64m (363 ft)
Normal Tail Water Level (NTWL)	:	25.91m (85 ft)
Gross Storage Capacity	:	0.95 Million ha m (7.70 MAF)
Dead Storage Capacity	:	0.37 Million ha m (2.97 MAF)
Live Storage Capacity	:	0.58 Million ha m (4.73 MAF)
Annual evaporation	:	0.06 Million ha m (0.5 MAF)
Submergence at FRL 138.68m (455 ft)	:	37533 ha

No. of villages affected		Full	Partial
Madhya Pradesh	:	1	191
Maharashtra	:	-	33
Gujarat	:	3	16
Sub Total	:	4	240
Grand Total	**:**		**244**

No. of families affected		
Madhya Pradesh	:	39369
Maharashtra	:	3995
Gujarat	:	4726
Total		**48090**

IV. DAM

Type	:	Concrete gravity
Length	:	1210.02 m
Maximum height	:	163.00 m
Top of dam	:	EL 146.5 m
Crest Level	:	EL 121.92 m

Spillways

Max. Discharge Capacity)	:	84949.25 Cumecs (30 lakh cusecs)
Service spillway	:	23 Bays 60 ft (18.30 m) each
Auxiliary spillway	:	7 Bays 60 ft (18.30 m) each

Crest Gates

Type	:	Radial
Size	:	18.30 m x 16.76 m (23 Nos.) 18.30 m x 18.30 m (7 Nos.)
Construction Sluices at EL. 18.0m	:	2.10 m x 2.74 m (10 Nos)
River Sluices at EL. 53.00m	:	2.5 m x 3.6 m (4 Nos.)

V. POWER INSTALLATION

	RBPH	CHPH
Location	Right Bank	Right Bank
No. of units	6	5
Rated capacity of each unit	200 MW	50 MW
Installed capacity	1200 MW	250 MW
Type of turbines	Francis (Reversible)	Kaplan (Conventional)
Type of Power House	Underground	Surface

VI. CANAL SYSTEM

FSL at head regulator of Main Canal	:	91.45 m (300 ft)
Type of canal	:	Lined contour canal
Length	:	458.41 km up to Gujarat-Rajasthan border and 74 km in Rajasthan
Base width at head reach	:	73.1 m
Base width at Gujarat Rajasthan Border	:	10.3 m
FSD in head reach	:	7.6 m
Maximum Discharge at Head Regulator	:	1132.66cumecs (40000 cusecs)
Max. Discharge at Gujarat-Rajasthan Border	:	71 cumecs (2500 cusecs)
Gross Command Area (GCA)	:	34.286 lakh ha - Gujarat 3.00 lakh ha - Rajasthan
Culturable Command Area (CCA)	:	18.419 lakh ha - Gujarat 2.460 lakh ha - Rajasthan
Annual Irrigation	:	17.92 lakh ha - Gujarat
	:	1.51 lakh ha - Rajasthan

VII. IRRIGATION BYE-PASS TUNNEL

No. & Size	:	2 Nos. 5.5 m dia. (circular)
Length of Tunnel	:	190.24 m
C/C distance between two tunnels	:	22 m
Sill level at inlet	:	88.39 m
Crown Level	:	94.89 m
Bed gradient	:	1 in 100
Total discharge capacity of 2 tunnels	:	283.20 cumecs (10000 cusecs) @ Res. level 97.53 m (320 ft.) 424.81 cumecs (15000 cusecs) @ Res. Level 110.64 m (363 ft.)

Gates

Service Gates	:	4 Nos., Sliding Type 2.6 m (W) x 3.9 m (H)
Emergency Gates	:	2. Nos., Fixed Wheel Type 4.32 m (W) x 5.5 m (H)

VIII. COST

(in Rs. Crore)

PRICE LEVELS	1986-87*	1996-97 **	2000-01***	2008-09@
Unit-I (Dam & Appurtenant works)	1019.45	4473.75	6036.78^	8930.53
Unit-II (Main Canal)	1588.54	4410.00	5216.35	23864.03
Unit-III (Hydro Power works)	979.95	2184.75	2782.07	2910.88
Group-IV (Branches & Dist. system)	2818.10	11850.00	14578.17	3535.00
Total cost of the project	**6406.04**	**22918.50**	**28613.37**	**39240.44**

Notes:

* *Full estimated cost at 1986-87 price level has been approved by the Planning Commission.*

** *Only the Unit-I estimate (partly) and Unit-III estimate of 1996-97 price level has been approved by the SSCAC in its 69th meeting held on 29th July 2003.*

*** *Unit-I Estimate (3003.57 crore) excluding B-Land (R&R) Cost and Unit-III Estimate has been approved by the SSCAC in its 71st meeting held on 8th September 2004.*

^ *Unit-I cost includes share of Indira Sagar Project (MP) of Rs.464.51 crore @ 17.63% of cost of Unit-I of Indira Sagar Project amounting to Rs. 2634.77 crore*

Break-up of Unit-I Cost

Unit-I (excluding B-land) approved by SSCAC	*Rs. 3003.57 crore*
B-Land (R&R) cost	*Rs.3033.21 crore*
Total	***Rs.6036.78 crore***

@ *Revised Estimated Cost, cleared by TAC in its 103rd meeting held on 11.03.2010 REC of Unit-I & Unit-III,has been recommended by PSC of SSCAC to SSCAC in its 98th meeting held on 22.02.2010.`*